रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2003/चैत्र 7, 1925
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2003/CHAITRA 7, 1925

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2003

सं. फा. 9-12/2002-राअशिप.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) 1993 की धारा 32(2)(ग) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की 15-01-2001 की अधिसूचना संख्या 4(1)-EV/95(II) के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन

(i) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) अभिदायी भविष्य निधि विनियम, 2003 है ।

(ii) ये विनियम 17.8.1995 (परिषद् की स्थापना की तारीख) से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "लेखा अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अभिदाता का भविष्य निधि लेखा रखने का कार्य समनुदेशित किया गया है ।

(ii) "वर्ष" का आशय वित्तीय वर्ष से है ।

(iii) 'परिलब्धियों' से मूल विनियमों में यथापरिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :-

(क) वेतन, छुट्टी वेतन, या जीवन निर्वाह अनुदान के, यदि अनुज्ञेय है तो, उपयुक्त महंगाई वेतन;

(ख) ऐसे कर्मचारियों को, जिनका पारिश्रमिक नियत मासिक वेतन द्वारा नहीं दिया जाता है परिषद् द्वारा संदत्त कोई मजदूरी; और

(ग) अन्यत्र सेवा की बाबत प्राप्त वेतन के रूप में कोई पारिश्रमिक;

(iv) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है -

(क) **पुरुष अभिदाता की दशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं है वहां उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :**

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है रूढ़िजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं रह गई है तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में माना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन विनियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है ।

(ख) **स्त्री अभिदाता की दशा में पति, माता पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतान और जहां अभिदाता के माता पिता जीवित न हों वहां उसके माता पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :**

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, तब से जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन विनियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है ।

टिप्पणी : 'संतान' से धर्मज संतान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक को मान्यता प्राप्त है, दत्तक संतान आती है अथवा अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 (1890 का 8वां) के अधीन ऐसा कोई वार्ड आता है जो कि परिषद् के कार्मिक के साथ रहता है और जिसे परिवार का सदस्य समझा जाता है और जिसे परिषद् के कार्मिक ने एक विशेष वसीयत के माध्यम से वही दर्जा प्रदान किया है जो कि नैसर्गिक रूप में जन्मी संतान को प्राप्त है ।

(v) "निधि" **से परिषद् की अभिदायी भविष्य निधि अभिप्रेत है;**

(vi) "छुट्टी" **से मूल नियमों, सिविल सेवा विनियमों या पुनरीक्षित छुट्टी नियम, 1933, जो भी अभिदाता को लागू हो, द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी प्रकार की छुट्टी अभिप्रेत है;**

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य पद, जो या तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) में या मूल नियमों में परिभाषित है, उनमें परिभाषित अर्थों में प्रयुक्त किया गया है ।

3. निधि का गठन

(1) निधि रुपयों में रखी जाएगी ।

(2) इन विनियमों के अधीन निधि में संदत्त सभी रकमें सरकार की बही में एक खाते में, जिसका नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिदायी भविष्य निधि खाता' होगा, जमा खाते की जाएंगी । वे राशियां, जिनका संदाय इन विनियमों के अधीन उनके संदेय हो जाने के पश्चात् छह मास के भीतर नहीं लिया गया है उस वर्ष के 31 मार्च के पश्चात "निक्षेप" में अन्तरित कर दी जाएंगी और निक्षेपों से संबंधित सामान्य नियमों के अधीन मानी जाएंगी ।

4. पात्रता की शर्तें

(1) ये विनियम परिषद् के हर ऐसे कार्मिक के मामले में लागू होंगे जिसे -

(क) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व निधि के फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है; या

(ख) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् निधि में परिषद् सम्मिलित करे :

परन्तु ये विनियम ऐसे किसी कार्मिक को लागू नहीं होंगे जिसके और परिषद् के बीच भविष्य निधि की बाबत ऐसे करार से भिन्न, कोई करार विद्यमान है जो इन विनियमों को उसे लागू करने का उपबंध करता है और, ऐसा उपबन्ध करने वाले किसी करार के मामले में ऐसे करार के निबन्धनों के अध्यधीन लागू होंगे ।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के किसी सिविल या सैनिक विभाग से या किसी राज्य सरकार की सेवा से या सरकार द्वारा प्रशासित किसी स्थानीय निधि की सेवा से या पत्तन न्यास या रेलवे अथवा किसी सरकारी स्वायत्त सोसायटी अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय से सेवानिवृत्त कोई अधिकारी, परिषद् में पुनः नियोजन पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए साधारण आदेशों के अधीन रहते हुए निधि में सम्मिलित किए जा सकेंगे ।

IndiaCode

(2) परिषद् का हर कार्मिक जिसे ये विनियम लागू होते हैं निधि में अभिदाता होगा ।

(3) यदि निधि के फायदे में सम्मिलित परिषद् का कोई कार्मिक पहले केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य अभिदायी या गैर अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाता रहा है, तो, यथास्थिति अभिदायी भविष्य निधि में उसके अभिदानों और सरकार के अभिदान की रकम या गैर अभिदायी निधि में उसके अभिदानों की रकम, परिषद् के अनुमोदन/अन्य सरकार की सहमति से उन पर ब्याज सहित निधि में उसके खाते में अन्तरित की जाएगी ।

टिप्पण 1 : उपविनियम (3) के उपबन्ध ऐसे व्यक्ति को, जो सेवानिवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में भंग सहित या रहित पुनः नियोजित किया गया है या ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ववर्ती नियुक्ति संविदा पर धारण करता था, लागू नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : किन्तु, इस विनियम के उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों को लागू होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीन या राज्य सरकार के अधीन, सेवा से पद त्याग देने या छंटनी कर दिए जाने के पश्चात, सेवा में बिना भंग के, इन विनियमों का फायदा पाने वाले किसी पद पर या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है ।

टिप्पण 3 : उपविनियम (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे जिन्हें सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन सेवा में किसी सेवा भंग के बिना, अन्तरित किया गया है ।

5. नामनिर्देशन

(1) निधि में शामिल होते समय अभिदाता, कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी के पास एक नाम-निर्देशन पत्र भेजेगा जिसमें वह, रकम संदेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उस दशा में, जब रकम संदेय तो हो गई हो किन्तु दी न गई हो, एक या अधिक व्यक्तियों को वह रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो निधि में अभिदाता के नाम जमा हो :

परन्तु यह कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई परिवार है तो नामनिर्देशन ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों के लिए नहीं होगा जो कि परिवार का सदस्य न हो ।

परन्तु यह और कि अभिदाता द्वारा ऐसी किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में जिसमें वह निधि में सम्मिलित होने के पूर्व अभिदान करता था, किया गया नामनिर्देशन यदि ऐसी अन्य निधि में उसके नाम जमा रकमें इस निधि को अन्तरित कर दी गई है तो जब तक वह इस विनियम के अनुसार कोई नामनिर्देशन नहीं करता है, इस विनियम के अनुसार सम्यक् रूप में किया नामनिर्देशन समझा जाएगा ।

(2) यदि कोई अभिदाता उपविनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है तो वह प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या अंश उस नामनिर्देशन पत्र में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि खाते में किसी भी समय उसके नाम जमा संपूर्ण रकम उसके अन्तर्गत आ जाए ।

(3) प्रत्येक नामनिर्देशन अनुबन्ध 1 में दिए गए प्रारूप में किया जाएगा ।

(4) अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचना भेजकर किसी भी समय नामनिर्देशन रद्द कर सकता है । अभिदाता ऐसी सूचना के साथ या अलग से ऐसा नया नामनिर्देशन भेजेगा जो इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार किया गया है ।

(5) अभिदाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकेगा :-

(क) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के संबंध में यह कि अभिदाता से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उस नाम निर्देशिती को दिया गया अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रांत हो जाएगा जो नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए परन्तु यदि अभिदाता के कुटुम्ब के अन्य सदस्य हैं तो उपर्युक्त अन्य व्यक्ति उसके कुटुम्ब के ही ऐसे अन्य सदस्य होंगे । जहां अभिदाता इस खंण्ड के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता है वहां वह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संदेय रकम या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अन्तर्गत वह संपूर्ण रकम आ जाए जो किसी भी समय उसके नाम जमा हो;

(ख) यह कि नामनिर्देशन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी आकस्मिकता के घटित होने पर, अविधिमान्य हो जाएगा :

परन्तु यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं है तो वह नामनिर्देशन में इस बात का उपबन्ध करेगा कि वह यदि बाद में उसका कोई कुटुम्ब हो जाता है तो, अविधिमान्य हो जाएगा ।

परन्तु यह और कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिदाता के कुटुम्ब का केवल एक ही सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबन्ध करेगा कि खण्ड (क) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रदत्त अधिकार उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा जब बाद में उसके कुटुम्ब में कोई अन्य सदस्य आ जाता है या आ जाते हैं ।

(6) ऐसे नामनिर्देशिती की मृत्यु के तुरन्त बाद, जिसकी मृत्यु की बाबत उपविनियम (5) के खण्ड (क) के उपबन्ध के अनुसार नामनिर्देशन में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अथवा ऐसी कोई घटना घट जाने पर जिसके कारण उपविनियम (5) के खण्ड (ख) या उसके परन्तुकों के अनुसरण में किए गए किसी उपबन्ध के आधार पर वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, अभिदाता नामनिर्देशन को रद्द करते हुए लेखा अधिकारी को लिखित रूप से एक सूचना भेजेगा और उसके साथ इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार एक नया नामनिर्देशन भी भेजेगा ।

(7) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और उसे रद्द किए जाने की प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वह विधिमान्य है, उस तारीख को प्रभावी हो जाएगी जिसको वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होती है ।

टिप्पण - इस विनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो "व्यक्ति" या "व्यक्तियों" के अन्तर्गत है 'कोई कम्पनी अथवा संघ' अथवा व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं । इसके अन्तर्गत कोई निधि उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष या कोई अन्य न्यास या निधि भी है जिसके लिए नामनिर्देशन उक्त निधियों या न्यासों के संदाय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत सचिव या अन्य कार्यकारी के माध्यम से किया जा सकेगा ।

6. अभिदाता का खाता

प्रत्येक अभिदाता के नाम एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित दिखाएं जाएंगे -

(i) उसके अभिदान

(ii) परिषद् द्वारा विनियम 11 के अधीन उसके खाते में किए गए अभिदाय,

(iii) अभिदानों पर, नियम 12 द्वारा उपबंधित ब्याज,

(iv) अभिदायों पर, विनियम 12 द्वारा उपबंधित ब्याज,

(v) खाते में से लिए गए उधार और निकाली गई रकमें ।

अभिदान की शर्तें और दरें

7. अभिदान की शर्तें

(1) प्रत्येक अभिदाता, जब वह ड्यूटी पर हो या अन्यत्र सेवा पर हो, किन्तु निलंबन की अवधि के दौरान नहीं, निधि में प्रति मास अभिदान करेगा;

परन्तु निलंबन के अधीन व्यतीत अवधि के पश्चात पुनर्नियुक्ति पर अभिदाता को उस अवधि के लिए अनुज्ञेय अभिदानों के बकायों की अधिकतम रकम से अनधिक किसी रकम का एक मुश्त या किस्तों में संदाय करने के विकल्प की अनुज्ञा दी जाएगी :

टिप्पण - किसी अभिदाता को छूट दिवस के रूप में मानी जाने वाली अवधि के दौरान, अभिदाय करने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) अभिदाता, ऐसी छुट्टी के दौरान जिसमें कोई छुट्टी वेतन न मिलना हो या जिसका छुट्टी वेतन, आधे वेतन या आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम हो, अपने विकल्प पर, अभिदान नहीं भी कर सकेगा ।

(3) अभिदाता, उपविनियम (2) में निर्दिष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने के अपने विकल्प को निम्नलिखित रीति से सूचित करेगा; -

(क) छुट्टी पर जाने से पूर्व मुख्यालय तथा क्षेत्रीय समितियों में कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष को लिखित संसूचना भेजकर ।

सम्यक और समय पर सूचना न देने पर यह समझा जाएगा कि उसने अभिदान करने का विकल्प किया है ।

इस उपविनियम के अधीन संसूचित अभिदाता का विकल्प अंतिम होगा ।

(4) वह अभिदाता, जिसने विनियम 20 के अधीन निधि में उसके नाम जमा रकम निकाल ली है, ऐसी निकासी के पश्चात निधि में तब तक अभिदान नहीं करेगा जब तक कि वह ड्यूटी पर वापिस न आ जाए ।

(5) 'उप-विनियम (1) में जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद कोई अभिदाता जिस महीने वह सेवा से विमुक्त होता है उसमें निधि में तब तक कोई अभिदाय नहीं करेगा जब तक कि उक्त महीने के शुरू होने से पहले वह लिखित रूप में कार्यालय अध्यक्ष से उस महीने अभिदाय करने का विकल्प नहीं देता,

8. अभिदान की दरें :

(1) अभिदान की रकम, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वयं अभिदाता द्वारा नियत की जाएगी, अर्थात

(क) इसे पूरे पूरे रुपयों में व्यक्त किया जाएगा,

(ख) वह इस प्रकार व्यक्त की गई कोई भी रकम हो सकती है जो उसकी परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी और उसकी परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी ।

(2) उपविनियम (1) के प्रयोजनार्थ, अभिदाता की परिलब्धियां -

(क) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को, परिषद् की सेवा में था, वे परिलब्धियां होंगी जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार था :

परन्तु -

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर रहा है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया है, या उक्त तारीख को निलंबित रहा है तो, उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात पहले दिन हकदार था;

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और तब से छुट्टी पर रहा है और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करके का विकल्प किया है तो, उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी जिसके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में ड्यूटी पर रहता;

(iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख के पश्चातवर्ती दिन को प्रथम बार निधि में शामिल हुआ है तो, उसकी परिलब्धियां वे परिलब्धियां होंगी, जिसके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था;

(ख) ऐसे अभिदाता की दशा में, जो पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को, परिषद् की सेवा में नहीं था, वे परिलब्धियां होंगी, जिनके लिए वह सेवा में प्रथम दिन हकदार था, अथवा यदि वह अपनी सेवा में प्रथम दिन के पश्चातवर्ती किसी तारीख को पहली बार निधि में शामिल हुआ है तो वे परिलब्धियां होंगी जिनके लिए वह ऐसी पश्चातवर्ती तारीख को हकदार था ।

परन्तु यदि अभिदाता की परिलब्धियां ऐसी हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं तो उनकी गणना ऐसी रीति से की जाएगी जैसा परिषद् निदेश दे ।

(3) अभिदाता प्रति वर्ष अपने मासिक अभिदान की रकम निश्चित किए जाने की संसूचना निम्नलिखित रीति से देगा :

(क) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

(ख) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया था या वह उस तारीख को निलंबित था तो, ऐसी कटौती द्वारा, जो वह ड्यूटी पर वापस आने के पश्चात अपने प्रथम वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

(ग) यदि वह वर्ष के दौरान प्रथमबार परिषद् की सेवा में आया है या प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है तो, ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस मास के, जिसके दौरान वह निधि में शामिल होता है, अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

(घ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को छुट्टी पर था और छुट्टी पर बना रहता है, और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान करने का विकल्प किया है, ऐसी कटौती जो वह उस मास के अपने वेतन बिल में से इस निमित्त करता है;

(ङ) यदि वह पूर्वगामी वर्ष की 31 मार्च को अन्यत्र सेवा में था, उस रकम द्वारा जो उसने चालू वर्ष की अप्रैल मास के अभिदान मद्दे खजाने में जमा की है;

(च) यदि उसकी परिलब्धियां उपविनियम (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार की हैं तो ऐसी रीति से जैसा परिषद् निदेश दे ।

(4) इस प्रकार नियत अभिदान की रकम -

(क) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार घटाई जा सकेगी;

(ख) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाई जा सकेगी; या

(ग) पूर्वोक्त रीति से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी ।

परन्तु यदि अभिदान की रकम इस प्रकार घटाई जाती है तो वह उपविनियम (1) द्वारा विहित न्यूनतम से कम नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता केलेण्डर मास के भाग में वेतन रहित छुट्टी या अर्धवेतन या अर्धऔसत वेतन छुट्टी पर है और यदि उसने ऐसी छुट्टी के दौरान अभिदान न करने का विकल्प किया है तो ऐसे संदेय अभिदाय की रकम ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के, जिसमें ऊपर निर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी से भिन्न छुट्टी, यदि कोई हो, सम्मिलित है, अनुपात में होगी ।

9. **अन्यत्र सेवा के लिए अन्तरण अथवा भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति**

जब अभिदाता को अन्यत्र सेवा के लिए स्थानान्तरण पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है तब वह निधि के नियमों के अधीन उसी रीति से बना रहेगा मानों उसे इस प्रकार स्थानान्तरण पर या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा गया है ।

10. अभिदानों की वसूली

अभिदानों की वसूली :

(1) जब परिलब्धियां परिषद् से ली जाती हैं तो उन परिलब्धियों के कारण अभिदानों की तथा लिए गए अग्रिमों की मूल रकम और उनके ब्याज की वसूली ऐसी परिलब्धियों में से ही की जाएगी ।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जाती हैं तब अभिदाता अपनी देय रकम प्रतिमास लेखा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में प्रतिनियुक्त अभिदाताओं के मामले में, अभिदान सरकार/ऐसी सोसायटी अथवा निगमित निकाय द्वारा वसूल किए जाएंगे और लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे ।

11. सरकार द्वारा अभिदाय

(1) परिषद् प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से प्रत्येक अभिदाता के खाते में अभिदाय करेगी ।

परन्तु यदि कोई अभिदाता वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाय पूर्वगामी वर्ष की समाप्ति और सेवा छोड़ने या मृत्यु हो जाने के बीच की अवधि के लिए उसके खाते में जमा किए जाएंगे ।

IndiaCode

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अवधि के लिए, जिसके लिए अभिदाता को नियमों के अधीन निधि में अभिदान न करने की अनुज्ञा दी गई है, या वह निधि में अभिदान नहीं करता है, कोई अभिदाय संदेय नहीं होगा ।

(2) अभिदाय, यथास्थिति, उस वर्ष या अवधि के दौरान ड्यूटी पर ली गई अभिदाता की परिलब्धियों का ऐसा प्रतिशत होगा जो सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित किया है या करे ।

परन्तु यदि अभिदान की गई रकम भूल से या अन्यथा विनियम 8 के उपविनियम (1) के अधीन अभिदाता द्वारा संदेय न्यूनतम अभिदान से कम है और यदि जितना अभिदाय कम रह गया है वह और उस पर प्रोद्भूत ब्याज अभिदाता द्वारा ऐसे समय के भीतर नहीं दे दिया जाता है जो ऐसा अग्रिम, जिसे देने के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है, मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तो, परिषद् जब तक सरकार किसी विशेष मामले में अन्यथा निदेश न दे, अभिदाता द्वारा वस्तुतः दी गई रकम अथवा परिषद् द्वारा सामान्यतः संदेय रकम के, इनमें से जो भी कम हो, बराबर होगा ।

(3) यदि कोई अभिदाता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है तो वह परिलब्धयां जो वह तब लेता जब वह भारत में ड्यूटी पर होता, इस नियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(4) यदि कोई अभिदाता छुट्टी के दौरान अभिदान का विकल्प करता है तो उसका छुट्टी वेतन, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धि माना जाएगा ।

(5) यदि कोई अभिदाता निलंबन की किसी अवधि की बाबत अभिदानों के बकायों का संदाय करने का चयन करता है तो परिलब्धियों या परिलब्धियों का भाग, जो नौकरी में बहाली पर उस अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाए, इस विनियम के प्रयोजन के लिए, छुट्टी पर ली गई परिलब्धियां समझा जाएगा ।

(6) अन्यत्र सेवा की किसी अवधि की बाबत संदेय किसी अभिदाय की रकम, जब तक कि वह विदेशी नियोजक से वसूल नहीं की गई है परिषद् द्वारा अभिदाता से वसूल की जाएगी ।

(7) संदेय अभिदाय की रकम को निकटतम रुपए में (पचास पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) पूर्णांकित किया जाएगा ।

12. ब्याज

(1) परिषद् निधि में किसी अभिदाता के नाम जमा रकम पर उसके खाते में ब्याज ऐसी दर पर जमा करेगी जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारण भविष्य निधि के अभिदानों पर ब्याज का संदाय करने के लिए समय-समय पर विहित करे ।

(2) ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च से निम्नलिखित रीति से जमा किया जाएगा :

(i) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को अभिदाता के नाम जमा रकम में से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों को घटाकर बची शेष रकम पर बारह मास का ब्याज;

(ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई रकमों पर - चालू वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस मास के, जिसमें रकम निकाली गई थी, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक का ब्याज;

(iii) पूर्वगामी वर्ष के 31 मार्च के पश्चात अभिदाता के खाते में जमा सभी रकमों पर - जमा की तारीख से लेकर चालू वर्ष की 31 मार्च, तक का ब्याज;

(iv) ब्याज की कुल रकम विनियम 11 के उपविनियम (7) में उपबंधित रीति से निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी ।

परन्तु जब किसी अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई हो तब उस पर ब्याज इस विनियम के अधीन, यथास्थिति, केवल चालू वर्ष के आरंभ से या जमा की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा, जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हुई है ।

(3) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए जमा की तारीख, परिलब्धियों से वसूलियों के मामले में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसमें वे वसूल की जाती है और अभिदाता द्वारा भेजी गई रकमों के मामलों में, उस मास का प्रथम दिन मानी जाएगी जिसमें उन्हें प्राप्त किया गया है, यदि लेखा अधिकारी ने उन्हें उस मास के पांचवें दिन के पूर्व प्राप्त किया है या यदि उन्हें उस मास के पांचवें दिन को या उसके पश्चात प्राप्त किया है तो अगले उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी :

परन्तु यदि किसी अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन या भत्तों को लेने में और परिणामतः निधि के प्रति उसके अभिदान की वसूली में विलंब हुआ है तो ऐसे आदानों पर ब्याज इन विनियमों के अधीन उस मास से संदेय होगा जिसमें अभिदाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय हो गया था, भले ही वह वास्तव में किसी भी मास में लिया गया हो :

परन्तु यह और कि विनियम 10 के उपविनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई रकम के मामले में जमा की तारीख मास का प्रथम दिन मानी जाएगी यदि वह लेखा अधिकारी को उस मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व प्राप्त होती है -

परन्तु यह और कि जहां किसी मास की परिलब्धियां उसी मास के अंतिम कार्य दिवस को ली गई है और संवितरित की गई हैं, वहां जमा की तारीख, उसके अभिदानों की वसूली के मामले में, उत्तरवर्ती मास का प्रथम दिन मानी जाएगी ।

(4) विनियम 23 के अधीन संदाय की जाने वाली किसी रकम के अतिरिक्त उस पर ब्याज उस मास के, जिसमें संदाय किया जाता है, ठीक पूर्वगामी मास की समाप्ति तक, अथवा उस मास के पश्चात, जिसमें वह रकम संदेय हो गई थी, छठे मास की समाप्ति तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, के लिए उस व्यक्ति को संदेय होगा जिसे ऐसी रकम संदत्त की जानी है ।

परन्तु कोई भी ब्याज उस तारीख के बाद की, जिसे लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या उसके अभिकर्ता) को ऐसी तारीख के रूप में सूचित किया है, जिस तारीख को वह नकद संदाय करने के लिए तैयार है, अथवा यदि वह चैक से संदाय करता है तो उस तारीख के बाद की, जिसको उस व्यक्ति के नाम का चैक डाक द्वारा भेजा जाता है, किसी अवधि के लिए संदत्त नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कोई अभिदाता सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन में प्रतिनियुक्ति पर है और भूतलक्षी तारीख से सरकार अथवा ऐसे निगमित निकाय या संगठन में बाद में आमेलित कर लिया जाता है, अभिदाता की निधि के संचयों पर देय ब्याज की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आमेलन की बाबत आदेश जारी करने की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिसको अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गई है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि आमेलन की तारीख से प्रारंभ होने

वाली और आमेलन के आदेशों के जारी किए जाने की तारीख तक की अवधि के दौरान अभिदान के रूप में वसूल की गई रकम इस उपविनियम के अधीन ब्याज देने के प्रयोजन के लिए ही निधि के लिए अभिदान मानी जाएगी ।'

टिप्पण - निधि पर 6 मास की अवधि के आगे ब्याज का संदाय निम्न द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा -

(क) छः महीने तक की अवधि के लिए, लेखा अधिकारी; और

(ख) एक वर्ष तक की अवधि के लिए सदस्य सचिव; तथा

(ग) किसी भी अवधि तक के लिए परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से;

व्यक्तिगत रूप से अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि संदाय में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो अभिदाता या उस व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना था, नियंत्रण से परे थी और ऐसे प्रत्येक मामले में होने वाले प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच की जाएगी और यदि अपेक्षित हो तो कोई कार्रवाई भी की जाएगी ।

(5) यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को यह सूचना देता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो ब्याज उसके खाते में जमा नहीं किया जाएगा; किन्तु यदि वह बाद में ब्याज की मांग करता है तो उसे उस वर्ष की, जिसमें वह मांग करता है, पहली अप्रैल से जमा किया जाएगा ।

(6) ऐसी रकमों पर, जो विनियम 19 या विनियम 20 के अधीन निधि में अभिदाता के नाम फिर से जमा की जाती है, ब्याज ऐसी दरों से, जो इस विनियम के उपविनियम (1) के अधीन अनुक्रमशः विहित की जाएं और जहां तक संभव हो इस विनियम में विहित रीति से, संगणित किया जाएगा ।

(7) यदि यह पाया जाता है कि अभिदाता ने रकम लेने की तारीख को अपने नाम जमा रकम से अधिक रकम निधि में से ले ली है, तो अधिक ली गई रकम, का इस बात पर विचार किए बिना कि अधिक ली गई रकम निधि में से अग्रिम के या रकम निकालने या अंतिम संदाय के समय ली गई है, उसके द्वारा प्रतिसंदाय उस पर ब्याज सहित एकमुश्त किया जाएगा या ऐसा न होने की दशा में, अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती करके वसूली करने का आदेश दिया जाएगा । यदि वसूल की जाने वाली कुल रकम, अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी परिलब्धियों

के आधे अंश की मासिक किश्तों में तब तक वसूली की जाएगी जब तक कि ब्याज सहित कुल रकम वसूल नहीं कर ली जाती है। इस उपविनियम के लिए, अधिक ली गई रकम पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर उपविनियम (1) के अधीन भविष्य निधि अतिशेष पर सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगी । अधिक ली गई रकम पर वसूल किया गया ब्याज परिषद् के खाते में 'ब्याज प्राप्तियां' - शीर्ष के अधीन 'भविष्य निधि से अधिक ली गई रकम पर ब्याज' उपशीर्ष के अधीन जमा किया जाएगा ।

13. निधि में से अग्रिम

(1) समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी, किसी अभिदाता को ऐसा अग्रिम दिए जाने की, जो पूर्ण रुपयों में हो और उसके तीन मास के वेतन की रकम से, अथवा निधि में उसके नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की आधी रकम से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक न हो, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे सकेगा, अर्थात :-

(क) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, रुग्णावस्था या निःशक्तता के संबंध में व्यय जिसके अंतर्गत, जहां कहीं आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है का संदाय करने के लिए;

(ख) अभिदाता और उसके कुटुम्ब के सदस्यों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के व्ययों की जिनके अन्तर्गत जहां कहीं आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है निम्नलिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात -

(i) हाई स्कूल स्तर के आगे शैक्षणिक, तकनीकी, वृत्तिक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए;

(ii) हाई स्कूल स्तर के आगे भारत में चिकित्सा संबंधी , इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए, परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम के लिए न हो ।

(ग) अभिदाता की हैसियत के उपयुक्त मापमान पर ऐसे बाध्यकर व्ययों का संदाय करने के लिए, जो अभिदाता को रूढ़िगत प्रथा के अनुसार सगाइयों या विवाहों, अन्त्येष्टियों अथवा अन्य कर्मों के संबंध में करने पड़े ।

(घ) अभिदाता, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध लाई गई विधिक कार्यवाहियों का खर्च वहन करने के लिए, इस मामले में उपलब्ध अग्रिम, किसी अन्य सरकारी स्रोत से इसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा ।

(ङ) अभिदाता की प्रतिरक्षा का खर्च वहन करने के लिए, जहां वह अपने विरुद्ध किसी अभिकथित शासकीय अवचार की बाबत जांच में अपनी प्रतिरक्षा के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करता है ।

(च) टीवी, वीसीआर/वीसीपी, धुलाई की मशीन, गैस का चूल्हा तथा कम्प्यूटर जैसी उपभोक्ता उपभोज्य सामग्री की खरीद के लिए ।

(11) परिषद् के अध्यक्ष किसी भी अभिदाता को, किसी अग्रिम के संदाय की मंजूरी विशेष परिस्थितियों में दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाए कि संबंधित अभिदाता को उपविनियम (1) में वर्णित कारणों से भिन्न किसी कारण से अग्रिम की अपेक्षा है ।

(2) अग्रिम, उपविनियम (1) में दी गई सीमा से अधिक या जब तक कि किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय न कर दिया जाए, सिवाय विशेष कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा ।

परन्तु अग्रिम, निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदानों तथा उन पर देय ब्याज की रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा ।

(3) जब किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त का प्रतिसंदाय पूरा होने के पूर्व उपविनियम (2) के अधीन कोई अग्रिम मंजूर किया जाता है तब किसी पूर्व अग्रिम का वसूल न किया गया अतिशेष इस प्रकार मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा और वसूली के लिए किस्तें समेकित रकम के संदर्भ में नियत की जाएंगी ।

(4) अग्रिम मंजूर किए जाने पर रकम ऐसे मामलों में, जहां अंतिम सन्दाय के लिए आवेदन विनियम 23 के उपविनियम (3) के खण्ड (ii) के अधीन लेखा अधिकारी को भेजा गया है, लेखा अधिकारी के प्राधिकार प्राप्त होने पर निकाली जाएगी ।

टिप्पण 1 : इस नियम के प्रयोजन के लिए, वेतन में महंगाई वेतन भी, जहां अनुज्ञेय हो, शामिल है ।

टिप्पण 2 : इस नियम के प्रयोजन के लिए समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारी अनुबन्ध-2 में विनिर्दिष्ट है ।

टिप्पण 3 : अभिदाता को नियम 13 के उपविनियम (i) की मद (ख) के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

14. अग्रिम की वसूली

(1) अग्रिम अभिदाता से उतनी समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा जितनी का निदेश मंजूरीकर्ता प्राधिकारी दें, किन्तु ये किस्तें बारह से कम, जब तक कि अभिदाता वैसा विकल्प न करे और चौबीस से अधिक नहीं होंगी । ऐसे विशेष मामलों में, जहां अग्रिम की रकम विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक है वहां मंजूरीकर्ता प्राधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक नियत कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में किस्तों की संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी । अभिदाता इन नियमों द्वारा विहित किस्तों से कम किस्तों में भी, अपने विकल्प पर अग्रिम का प्रतिसंदाय कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों में होगी और यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार की किस्तों को नियत करने के लिए अग्रिम की रकम को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा ।

(2) अग्रिम की वसूली, अभिदानों की वसूली संबंधी विनियम 10 में उपबंधित रीति से की जाएगी और जिस मास में अग्रिम लिया गया है उससे ठीक पश्चातवर्ती मास का वेतन दिए जाने के साथ-साथ आरंभ हो जाएगी । अग्रिम की वसूली, अभिदाता की सहमति के बिना उस दशा में नहीं की जाएगी जब उसे जीवन निर्वाह अनुदान मिल रहा है अथवा वह किसी कलेंडर मास में दस दिन या उससे अधिक के लिए छुट्टी पर है और छुट्टी की उस अवधि के लिए उसे या तो कोई छुट्टी वेतन नहीं मिल रहा है या, यथास्थिति, आधे औसत वेतन के बराबर या उससे कम छुट्टी वेतन मिल रहा है । मंजूरीकर्ता प्राधिकारी मंजूर किए गए किसी अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर अभिदाता की किसी अग्रिम की वसूली को स्थगित कर सकता है ।

(3) यदि किसी अभिदाता को कोई अग्रिम दिया गया है और उसने अग्रिम ले लिया है और तत्पश्चात अग्रिम को, उसका प्रतिसंदाय पूर्ण होने से पूर्व अनुज्ञात कर दिया जाता है तो, लिया गया सारा अग्रिम अथवा उसका अतिशेष तत्काल अभिदाता द्वारा निधि में प्रतिसंदत्त कर दिया जाएगा या ऐसा न होने पर लेखा अधिकारी यह आदेश करेगा कि उसे अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त अथवा बारह से

अधिक उतनी मासिक किस्तों में, जितनी ऐसे अग्रिमों को, जिनके अनुदान के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा है, मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, कटौती करके वसूल कर लिया जाएगा ।

परन्तु ऐसा अग्रिम नामंजूर करने के पूर्व, अभिदाता को लिखित रूप में और संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर मंजूरी प्राधिकारी को यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि क्यों न प्रतिसंदाय प्रवर्तित किया जाए और यदि पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह निर्णय के लिए परिषद् के अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा और यदि अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अग्रिम का प्रतिसंदाय इस उपविनियम में विहित रीति में प्रवर्तित किया जाएगा ।

(4) इस विनियम के अधीन वसूल की गई रकमें, जब जब उनकी वसूली की जाए, निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएगी ।

15. अग्रिम का गलत उपयोग

इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि मंजूरी प्राधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि विनियम 13 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में लिए गए धन का प्रयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए धन निकालने की मंजूरी दी गई थी, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया गया है तो वह अभिदाता को अपने संदेह के लिए कारणों को संसूचित करेगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह लिखित रूप में और ऐसी संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर स्पष्ट करे कि क्या अग्रिम का उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए उसे निकालने के लिए मंजूरी दी गई थी । यदि मंजूरी प्राधिकारी का पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर अभिदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है तो मंजूरी प्राधिकारी अभिदाता को निदेश देगा कि वह प्रश्नगत रकम का निधि में तत्काल प्रतिसंदाय करे और ऐसा करने में व्यतिक्रम करने पर आदेश देगा कि उस रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से, भले ही वह छुट्टी पर हो, एकमुश्त कटौती करके वसूल किया जाए । यदि प्रतिसंदाय की जाने वाली कुल रकम अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूलियां उसकी परिलब्धियों के आधे भाग की मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक अभिदाता द्वारा पूरी रकम प्रतिसंदत्त न कर दी जाए ।

टिप्पण - इस विनियम में 'परिलब्धियों' के अन्तर्गत जीवन निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है ।

16. निधि में से रकम निकालना

(1) विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम धन की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित में से किसी भी समय, ऐसी शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाएगी, धन निकालने की मंजूरी दे सकते हैं -

(ए) अभिदायकर्त्ता की सेवा के पन्द्रह वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात (जिसके अंतर्गत सेवा की विछिन्न अवधियां, यदि कोई हो तो आती हैं) या उसकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व दस वर्ष के भीतर, दोनों में से जो भी पूर्वोत्तर हो, निधि में उसके खाते में जमा अभिदान तथा उस पर देय ब्याज की रकम में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, अर्थात -

(क) अभिदायकर्त्ता अथवा अभिदायकर्त्ता की किसी संतान के, निम्नलिखित दशाओं में, उच्चतर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिए, जिसमें जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी आता है, अर्थात -

(i) भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी व्यवसायिक या वृत्ति संबंधी, हाई स्कूल के प्रक्रम से आगे के पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए; और

(ii) भारत में किसी चिकित्सीय, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेष योग्यता संबंधी, हाई स्कूल के प्रक्रम से आगे के पाठ्यक्रम के लिए;

(ख) अभिदायकर्त्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी के वाग्दान/विवाह के संबंध में व्यय का वहन करने के लिए;

(ग) अभिदायकर्त्ता तथा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर वस्तुतः आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में व्यय का वहन करने के लिए, जिसमें, जहां आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी आता है;

(घ) टीवी, वीसीआर धुलाई की मशीन, गैस का चूल्हा, गीजर तथा कम्प्यूटर जैसी उपभोज्य सामग्री की खरीद के लिए ।

(बी) अभिदायकर्त्ता के सेवाकाल में इस निधि में उसके नाम जमा तथा उस पर देय ब्याज की राशि में से निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, अर्थात -

(क) उसके निवास के लिए भवन निर्माण के लिए या उपयुक्त मकान अथवा तैयार फ्लैट लेने के लिए जिसमें स्थान की कीमत भी आती है, अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य आवास बोर्ड अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कोई भूखण्ड अथवा फ्लैट के आबंटन के लिए किया गया भुगतान;

(ख) उसके निवास स्थान के भवन निर्माण के लिए या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट लेने के लिए विनिर्दिष्ट लिए गए उधार मद्दे बकाया रकम को वापस करने के लिए;

(ग) अभिदायकर्त्ता के पहले से ही स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पहले से ही लिए गए मकान के पुनर्निर्माण के लिए अथवा उसमें वृद्धि या परिवर्तन करने के लिए;

(घ) कार्यस्थल से भिन्न किसी स्थान पर अभिदायकर्त्ता के पैतृक मकान में सुधार करने या उसमें वृद्धि या परिवर्तन करने अथवा उसें सही दशा में रखने के लिए अथवा कार्यस्थल से भिन्न किसी स्थान पर सरकार से उधार लेकर मकान का निर्माण करने के लिए;

(ड.) मकान का निर्माण करने के लिए;

(सी) अधिवार्षिकी पर अभिदायकर्त्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बारह मास के भीतर निधि में उसके नाम में जमा और उस पर देय ब्याज रकम में से किसी भी प्रयोजन का उल्लेख किए बिना ।

(डी) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार, अभिदाता द्वारा स्ववित्त-पोषण और अभिदायी आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सामूहिक बीमा योजना (सीजीएसएलआईएस) के मद्दे एक वर्ष में संदाय की गई अभिदान की रकम के बराबर की रकम किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार ।

टिप्पण 1 : वह अभिदायकर्त्ता जिसने भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए अग्रिम धन की मंजूरी के लिए परिषद् की स्कीम के अन्तर्गत कोई अग्रिम धन लिया है, अथवा जिसे परिषद् के किसी अन्य स्रोत से इस बाबत कोई सहायता अनुज्ञात की गई है खण्ड (बी) के

उपखण्ड (क), (ग) तथा (ड.) के अधीन, उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, तथा उपरोक्त स्कीम के अधीन लिए गए किसी उधार को वापिस करने के प्रयोजन के लिए, विनियम 17 के उपविनियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए अंतिम रूप से निकासी की मंजूरी का पात्र होगा ।

यदि अभिदायकर्त्ता का कोई पैतृक मकान है अथवा उसने अपने कार्यस्थल से भिन्न किसी स्थान पर कोई मकान सोसायटी से लिए गए उधार की सहायता से बनाया है तो वह अपने कार्यस्थल पर अन्य मकान के लिए स्थान क्रय करने के लिए या अन्य मकान के निर्माण के लिए या अतिरिक्त फ्लैट लेने के लिए खण्ड (बी) के उपखण्ड (क) और (ड.) के अधीन अंतिम निकासी की मंजूरी का पात्र होगा ।

टिप्पण 2 : खण्ड (बी) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) या (ड.) के अधीन निकासी की मंजूरी केवल तब प्रदान की जाएगी जब अभिदायकर्त्ता बनाए जाने वाले मकान का नक्शा या की जाने वाली वृद्धियों अथवा परिवर्तनों का नक्शा उस क्षेत्र के जहां स्थान या मकान स्थित है, स्थानीय नगरपालिका निकाय के सम्यक अनुमोदन सहित तथा केवल उन दशाओं में जहां नक्शे का वास्तव में अनुमोदन कराना पड़ता हो, प्रस्तुत कर देता है ।

टिप्पण 3 : खण्ड (बी) के उपखण्ड (ख) के अधीन मंजूर की गई निकासी की रकम, आवेदन की तारीख को उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व निकासियों की रकम को जोड़कर जिसमें से पूर्व निकासियों की रकम को घटाने से जो अतिशेष की राशि होगी उसके 3/4 से अधिक नहीं होगी । यह फार्मूला इस प्रकार से है - [उस तारीख को विद्यमान अतिशेष+संबंधित मकान के लिए पूर्व निकासी (निकासियों) की रकम] - पूर्व निकासी (निकासियों) की रकम का 3/4 ।

टिप्पण 4 : खण्ड (बी) के उपखण्ड (क) अथवा (घ) के अधीन निकासी उस दशा में अनुज्ञात की जाएगी जहां मकान के लिए स्थान या मकान पत्नी या परिवार के नाम में है, परन्तु यह तब जब पत्नी या पति अभिदायकर्त्ता द्वारा किए गए नाम-निर्देशन में भविष्य निधि के धन को प्राप्त करने के लिए प्रथम नामनिर्देशिती हो ।

टिप्पण 5 : इस विनियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए केवल एक निकासी अनुज्ञात की जाएगी । किन्तु विभिन्न संतानों के विवाह या शिक्षा के लिए या विभिन्न समयों पर बीमारियों के लिए या उस क्षेत्र की स्थानीय नगरपालिका निकाय द्वारा, जहां मकान या फ्लैट स्थित है, सम्यक रूप से अनुमोदित नई निकासी के अनुसार मकान या फ्लैट में और वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन को एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा । खण्ड (बी) के उपखण्ड (क) या

(ड.) के अधीन दूसरी या पश्चातवर्ती निकासी उसी मकान को पूरा करने के लिए टिप्पण 3 के अधीन कथित सीमा तक अनुज्ञात की जाएगी ।

टिप्पण 6 : इस विनियम के अधीन कोई निकासी मंजूर नहीं की जाएगी, यदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय कोई अग्रिम धन विनियम 13 के अधीन मंजूर किया जा रहा हो ।

(2) जब भी अभिदाता अभिदायी भविष्य निधि खाते के अपने अंतिम बार प्राप्त विवरण के प्रतिनिर्देश से, पश्चातवर्ती अभिदायों के साक्ष्य सहित, अभिदायी भविष्य निधि खाते में अपने नाम जमा रकम की बाबत सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में है तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमाओं के भीतर वैसी ही मंजूरी स्वयं दे सकेगा जैसी प्रतिदेय अग्रिमों के मामले में देता है । ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी, अभिदाता के पक्ष में अपने द्वारा पहले मंजूर की गई किसी रकम की निकासी को या प्रतिदेय अग्रिमों को हिसाब में लेगा । किन्तु जहां अभिदाता अपने नाम जमा रकम की बाबत सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में नहीं है या जहां आवेदित रकम की निकासी की अनुज्ञेयता की बाबत कोई संदेह है वहां निकासी की रकम की अनुज्ञेयता को अवधारित करने में सक्षम प्राधिकारी को समर्थ बनाने की दृष्टि से अभिदाता के नाम जमा रकम को सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी लेखा अधिकारी को निर्देश कर सकेगा । रकम निकासी की मंजूरी पर अभिदायी या भविष्य निधि खाता संख्या और लेखा रखने वाले लेखा अधिकारी को स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए और मंजूरी की एक प्रति बिना किसी चूक, लेखा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए । मंजूरीकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि लेखा अधिकारी से यह अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । यदि लेखा अधिकारी यह रिपोर्ट करता है कि मंजूर किया गया अग्रिम अभिदाता के नाम जमा रकम से अधिक है या अन्यथा अनुज्ञेय नहीं है तो अभिदाता द्वारा निकाली गई रकम निधि में अभिदाता द्वारा एकमुश्त तुरन्त प्रतिसंदत्त की जाएगी और ऐसे प्रतिसंदाय में चूक होने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह निदेश दिया जाएगा कि उसे अभिदाता की परिलब्धियों में से एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाएं वसूल कर लिया जाए ।

(3) रकम की निकासी के मंजूर किए जाने पर रकम उन मामलों में जिनमें अंतिम रूप से संदाय करने के लिए आवेदन विनियम 23 के उपविनियम (3) के खण्ड (ii) के अधीन लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया गया है लेखा अधिकारी से प्राधिकार मिलने पर निकाली जाएगी ।

17. रकम निकालने की शर्तें :

(1) निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम में से उसके द्वारा किसी भी एक समय विनियम 16 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए निकाली गई कोई रकम, सामान्यतः निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम के आधे से, अथवा छह-मास के वेतन से, इनमें से जो भी कम हो, साधारणतया अधिक नहीं होगी । तथापि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक विनियम 16 की धारा (1) की उपधारा (ए) के अधीन निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की रकम की तीन-चौथाई तक तथा उपधारा (बी) के अधीन 90 प्रतिशत तक रकम निकालने की मंजूरी निम्नलिखित का सम्यक विचार करते हुए, दे सकेगा - (क) वह प्रयोजन, जिसके लिए धन निकाला जा रहा है, (ख) अभिदाता की प्रास्थिति, और (ग) निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम,

परन्तु विनियम 16 के उपविनियम (1) के खण्ड (बी) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहृत की जाने वाली अधिकतम राशि, भवन निर्माण प्रयोजनों की बाबत अग्रिम की मंजूरी के लिए सोसायटी की स्कीम के संगत विनियमों के अधीन समय-समय पर विहित अधिकतम सीमा से, किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि किसी ऐसे अभिदाता के मामले में, जिसने भवन निर्माण प्रयोजनों की बाबत मंजूरी के लिए परिषद् की स्कीम के अधीन कोई अग्रिम लिया है, या जिसे परिषद् के किसी अन्य स्रोत से इस बारे में कोई सहायता दी गई है, इस उपविनियम के अधीन प्रत्याहृत की गई राशि और पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लिए गए अग्रिम की राशि या परिषद् के किसी अन्य स्रोत से ली गई सहायता की राशि मिलकर पूर्वोक्त स्कीम के संगत विनियमों के अधीन समय-समय पर विहित की गई अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।

'किन्तु आगे यह भी कि विनियम 16 (1) (सी) के अधीन अनुमत्य निकासी निधि में अभिदाता के नाम जमा अभिदाय और ब्याज की राशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी' ।

टिप्पण 1 : विनियम 16 के उपविनियम (1) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (क) के अधीन निकालने के लिए मंजूर की गई रकम किस्तों में निकाली जा सकेगी जो मंजूरी की तारीख से गिनी जाने वाली बारह केलेण्डर मास की अवधि के भीतर चार से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : उन दशाओं में, जिनमें अभिदाता को खरीदी गई किसी जमीन, गृह या फ्लैट के लिए अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी राज्य आवास बोर्ड या किसी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी की मार्फत निर्मित किसी गृह या फ्लैट के लिए किस्तों में संदाय करना पड़ता है, उसे जब कभी उससे किसी किस्त के संदाय को अपेक्षा की जाए तब धन निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी । ऐसा प्रत्येक संदाय विनियम 17 के उपविनियम (1) के प्रयोजनों के लिए पृथक प्रयोजन के लिए संदाय माना जाएगा ।

(2) ऐसा अभिदाता, जिसे विनियम 16 के अधीन निधि में से धन निकासी की अनुज्ञा दी गई है युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया था उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, इस प्रकार निकाला गया संपूर्ण धन या उसका वह भाग, जो उन प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए उसे निकाला गया था, उपयोग में नहीं लाया गया है, अभिदाता द्वारा एकमुश्त प्रतिसंदत्त कर दिया जाएगा और ऐसा संदाय करने में चूक होने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी यह आदेश करेगा कि निकाली गई रकम और ब्याज एकमुश्त अथवा उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निदेश दे अभिदाता की परिलब्धियों में से कटौती करके वसूल किया जाए ।

परन्तु यह कि, इस उपविनियम के अधीन निकाले गए धन का प्रतिसंदाय प्रवर्तित किए जाने के पूर्व, अभिदाता को लिखित रूप में और संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि प्रतिसंदाय क्यों न प्रवर्तित किया जाए, और यदि मंजूरी प्राधिकारी का स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है या अभिदाता द्वारा पन्द्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मंजूरी प्राधिकारी इस उपविनियम में विहित रीति में प्रतिसंदाय प्रवर्तित करेगा ।

(3) (क) यदि अभिदाता, जिसे निधि में उसके नाम जमा अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम में से विनियम 16 के उपविनियम (1) के खण्ड

(बी) के उपखण्ड (क), उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) के अधीन धन निकालने की अनुज्ञा दी गई है, इस प्रकार निकाले गए धन से बनाए गए या अर्जित किए गए गृह या क्रय की गई जमीन का कब्जा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना, विक्रय, (परिषद् को किए गए बंधक से भिन्न) बंधक, उपहार, विनिमय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से, विलग नहीं करेगा :

परन्तु ऐसी अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी :-

(i) किसी गृह या गृह स्थल को तीन वर्षों से अनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टे पर देना, अथवा

(ii) किसी आवास बोर्ड, जीवन बीमा निगम, अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के पक्ष में, जो नया गृह निर्माण करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिए ऋण देता है, उसे बन्धक रखना ।

(ख) अभिदाता प्रतिवर्ष दिसम्बर के 31वें दिन तक एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि, यथास्थिति, गृह या गृह स्थल यथापूर्वोक्त उसके कब्जे में बना हुआ है, या उसे पूर्वोक्त रीति से बन्धक रखा गया है, या अन्यथा अंतरित किया गया है, या किराए पर दिया गया है और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो वह उस विक्रय, बन्धक या पट्टे के मूल विलेख को और ऐसे दस्तावेजों को भी जिन पर संपत्ति के लिए उसका हक आधारित है इस निमित्त मंजूरीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा ।

(ग) यदि अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी समय, अभिदाता परिषद् के अध्यक्ष से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना गृह या गृहस्थल का कब्जा विलग कर देता है तो वह निधि में से अपने द्वारा इस प्रकार निकाली गई रकम तुरन्त निधि में एकमुश्त प्रतिसंदत्त करेगा और ऐसे प्रतिसंदाय में चूक होने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी उस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए अभिदाता को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, उक्त रकम को अभिदाता की परिलब्धियों में से, या

तो एकमुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी वह अवधारित करे वसूल करवा लेगा ।

टिप्पण : ऐसे अभिदाता से, जिसने परिषद् से उधार लिया है और उसके बदले गृह या गृहस्थल परिषद् के नाम बंधक रखा है, निम्नलिखित प्रभाव की घोषणा देने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात -

'मैं इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि वह गृह या गृहस्थल जिसके निर्माण के लिए या जिसके अर्जन के लिए मैंने भविष्य निधि से अंतिम रूप से रकम निकासी ली है मेरे कब्जे में बना हुआ है किन्तु परिषद् के नाम बन्धक किया हुआ है'।

18. किसी अग्रिम का रकम की निकासी में संपरिवर्तन : कोई भी अभिदाता, जिसने विनियम 16 के उपविनियम (1) की धारा (ए) की उपधारा (क), (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए विनियम 13 के अधीन कोई अग्रिम लिया है या भविष्य में ले, स्वविवेकानुसार मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को संबोधित अपने लिखित अनुरोध द्वारा, उस अग्रिम के संबंध में अपने बकाया अतिशेष को अंतिम रूप से रकम की निकासी में संपरिवर्तित कर सकेगा यदि वह विनियम 16 और 17 में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता है ।

टिप्पण 1 : जब ऐसे संपरिवर्तन के लिए कोई आवेदन प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा लेखा अधिकारी को अग्रेषित किया जाए तब वह प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा एनसीटीई मुख्यालय के मामले में सदस्य सचिव को तथा एनसीटीई क्षेत्रीय समिति के मामले में क्षेत्रीय निदेशक को वेतन बिलों में से वसूलियों को रोकने के लिए कहा जा सकता है ।

टिप्पण 2 : विनियम 17 के उपविनियम (1) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन के समय खाते में अभिदाता के नाम जमा अभिदान की, उस पर ब्याज सहित, रकम तथा अग्रिम की बकाया रकम को अतिशेष के रूप में लिया जाएगा । प्रत्येक रकम-निकासी को पृथक-पृथक माना जाएगा और वही सिद्धांत एक से अधिक संपरिवर्तनों में लागू होगा ।

19. निधि में से संचयों को अन्तिम रूप से निकालना :

जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ देता है तब निधि में उसके नाम जमा रकम, उसे संदेय हो जाएगी :

परन्तु ऐसा अभिदाता, जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और बाद में उसे सेवा में पुनःस्थापित कर लिया गया है, यदि सरकार उससे वैसा करने की अपेक्षा करे, इस विनियम के अनुसार निधि से उसे संदत्त की गई कोई भी रकम, विनियम 12 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, विनियम 20 के परन्तुक में उपबन्धित रीति से प्रतिसंदत्त कर देगा । इस प्रकार प्रतिसंदत्त की कई रकम निधि में उसके खाते में जमा की जाएगी और वह भाग, जो उसके अभिदानों और उन पर ब्याज का द्योतक है, और वह भाग जो सरकार के अभिदाय का, उस पर ब्याज सहित, द्योतक है विनियम 6 में उपबन्धित रीति से लेखे में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण । : ऐसे अभिदाता के बारे में, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात, सेवा-भंग सहित या रहित, पुनः नियोजित कर लिया गया है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने सेवा छोड़ दी है यदि उसे सेवा में भंग के बिना राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में किसी नए पद पर (जहां उसे दूसरे भविष्य निधि विनियम लागू होते हैं) अपने पहले के पद के साथ कोई संबंध रखे बिना अन्तरित कर दिया जाता है । ऐसे किसी मामले में उसका अभिदान तथा सरकार का अभिदाय, उन पर ब्याज सहित, -

(क) किसी अन्य निधि में उसके खाते में, उस निधि के विनियमों के अनुसार अन्तरित कर दिया जाएगा, यदि नया पद केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग में है, अथवा

(ख) संबंधित राज्य सरकार के अधीन किसी नए खाते में अन्तरित कर दिया जाएगा, यदि नया पद राज्य सरकार के अधीन है और वह राज्य सरकार उसके अभिदानों, परिषद् के अभिदाय और ब्याज के ऐसे अन्तरण के लिए, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सम्मति दे ।

टिप्पण : स्थानान्तरण के संबंध में यह समझा ज़ाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत सेवा से पदत्याग के ऐसे मामले भी हैं जब पदत्याग, बिना किसी सेवा-भंग के और सोसायटी की समुचित अनुज्ञा से, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है । ऐसे मामलों में, जिनमें सेवा में कोई भंग आया है, यह भंग उस कार्यग्रहण अवधि तक ही सीमित रहना चाहिए जिसकी अनुज्ञा किसी भिन्न स्टेशन को स्थानान्तरण की दशा में रहती है ।

IndiaCode

यही बात छंटनी के ऐसे मामलों में भी लागू होगी, जिनमें छंटनी के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी स्वायत्त संगठन के अधीन कोई नियोजन ले लिया जाता है ।

स्पष्टीकरण II : जब कोई अभिदाता, जो संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे सेवा से निवृत्त होने के पश्चात सेवा में पुनः नियोजित किया गया है, सेवा-भंग के बिना सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगमित निकाय के अधीन, या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन सेवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तब अभिदानों की रकम और परिषद् का अंशदान, उस पर ब्याज सहित, उसे संदत्त नहीं किया जाएगा, किन्तु उस निकाय की सम्मति से, उस निकाय के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दि जाएगा ।

स्थानान्तरण के अन्तर्गत, सेवा से पदत्याग के ऐसे मामले भी हैं, जहां पदत्याग सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, किसी अन्य निगमित निकाय के अधीन अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी सेवा-भंग के बिना और केन्द्रीय सरकार की समुचित अनुज्ञा से किया जाता है । नए पद पर कार्यग्रहण करने के लिए लिया गया समय उस दशा में सेवा में भंग नहीं माना जाएगा जब वह परिषद् के कर्मचारी के एक पद से किसी अन्य पद पर हुए स्थानान्तरण पर सरकारी नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण अवधि से अधिक न हो :

परन्तु किसी लोक उपक्रम के अधीन सेवा के लिए विकल्प देने वाले किसी अभिदाता के अभिदानों, और परिषद् के अभिदाय की, उन पर ब्याज सहित रकम, यदि वह वैसा चाहे, उपक्रम के अधीन उसके नए भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, यदि संबंधित उपक्रम भी ऐसे अन्तरण के लिए सहमत हो । किन्तु, यदि अभिदाता अन्तरण नहीं चाहता है या संबंधित उपक्रम भविष्य निधि चालू नहीं करता है तो पूर्वोक्त रकम अभिदाता को वापस कर दी जाएगी ।

20. अभिदाता की सेवानिवृत्ति :

जब कोई अभिदाता -

(क) सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है,

(ख) जिसे छुट्टी पर रहते हुए सेवानिवृत्ति होने की अनुज्ञा दे दी गई है, अथवा जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने आगे की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है,

तब निधि में उसके नाम जमा अभिदानों की रकम और उस पर ब्याज अभिदाता को संदेय हो जाएगा :

परन्तु यदि अभिदाता छुट्टी से वापस आ जाता है तो वह, वहां के सिवाय जहां परिषद् अन्यथा विनिश्चय करे, अपने खाते में जमा किए जाने के लिए, वह रकम जो उसे इस विनियम के अनुसार निधि में से संदत्त की गई है, विनियम 12 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित, नकद या प्रतिभूतियों में, अथवा अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में, किस्तों में या अन्यथा, उसकी परिलब्धियों में से वसूल करके या अन्य प्रकार से, जैसा उस अग्रिम की, जिसके अनुदान के लिए वनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा हो, मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, निधि में प्रतिसंदत्त करेगा ।

21. अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया :

विनियम 22 के अधीन किसी कटौती के अधीन रहते हुए, अभिदाता के नाम जमा रकम के संदेय हो जाने के पूर्व, अथवा यदि रकम संदेय हो गई है तो संदाय किए जाने से पूर्व, उसकी मृत्यु हो जाने पर -

(i) जब अभिदाता कोई कुटुम्ब छोड़ता है तब -

(क) यदि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार अभिदाता द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन विद्यमान है तो निधि में उसके नाम जमा रकम या उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध है, उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जाएगा,

(ख) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों के पक्ष में ऐसा कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है, अथवा यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल किसी एक भाग से है तो, यथास्थिति, सारी रकम अथवा उसका वह भाग, जिससे नामनिर्देशन का संबंध नहीं है, उसके कुटुम्ब के किसी

सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम में तात्पर्यित किसी नामनिर्देशन के होते हुए भी, उसके कुटुम्ब के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में संदेय हो जाएगा :

परन्तु यदि उसके कुटुम्ब का खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न कोई सदस्य विद्यमान है तो कोई भी अंश निम्नलिखित को संदेय नहीं होगा :

(1) वे पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(2) मृतक पुत्र के वे पुत्र, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है;

(3) विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं;

(4) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां, जिनके पति जीवित हैं :

परन्तु यह और कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं और संतान या संतानें अपने बीच अकेला वही अंश, बराबर-बराबर भागों में, प्राप्त करेंगी जो अंश उस पुत्र ने तब प्राप्त किया होता जब वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और उसे प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबन्धों से छूट मिली होती ।

टिप्पण : किसी अभिदाता के कुटुम्ब के किसी सदस्य को इन विनियमों के अधीन संदेय कोई भी रकम भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन उस सदस्य में निहित हो जाएगी ।

(ii) जब अभिदाता कोई भी कुटुम्ब नहीं छोड़ता है तब यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन विद्यमान है तो, निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों के नाम जमा रकम ।

टिप्पण 1 : यदि नामनिर्देशिती भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 2 के खण्ड (ग) में से किसी अभिदाता पर आश्रित है तो रकम उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे नामनिर्देशिती में निहित हो जाती है ।

टिप्पण 2 : यदि अभिदाता कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ता है और विनियम 5 के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा किया गया कोई नामनिर्देशन भी विद्यमान नहीं है, अथवा यदि ऐसे नामनिर्देशन का संबंध निधि में उसके नाम जमा रकम के केवल एक भाग से है तो भविष्य

निधि अधिनियम, 1925 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के सुसंगत उपबन्ध सारी रकम को या उसके उस भाग को, जिससे नामनिर्देशन का संबंध नहीं है, लागू होंगे ।

21-ए. निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम : अभिदाता की मृत्यु पर, अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को, लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में औसत अतिशेष के समतुल्य अतिरिक्त रकम का, उस पर ब्याज सहित, संदाय निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात -

(क) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अभिदानों का अतिशेष उस पर ब्याज सहित उसकी मृत्यु के मास के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान, निम्नलिखित राशियों से कम नहीं होना चाहिए -

(i) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त 3 वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम 12000 रु. या अधिक है, 25000 रुपए;

(ii) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त 3 वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम रु. 9000 या अधिक है किन्तु रु. 11999 से कम है, 15000 रुपए;

(iii) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त 3 वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम रु. 3500 या उससे अधिक है किन्तु रु. 8999 से कम है, 10000 रुपए;

(iv) ऐसे अभिदाता की दशा में, जिसने उपरोक्त 3 वर्ष की अवधि के अधिकतर भाग में, ऐसा पद धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिकतम रु. 3500 से कम है, 6000 रुपए ।

(ख) इस विनियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम रु. 60000 से अधिक नहीं होगी;

(ग) अभिदाता की मृत्यु के समय तक उसकी कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए ।

टिप्पण 1 : औसत अतिशेष उस मास के जिसमें अभिदाता की मृत्यु होती है, पूर्ववर्ती 36 मास में से प्रत्येक के अन्त में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर निकाला जाएगा । इस प्रयोजन के लिए और ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेषों की जांच करने के लिए भी -

(क) मार्च के अन्त के अतिशेष में विनियम 12 के अनुसार जमा-खाते किए गए अभिदानों पर वार्षिक ब्याज सम्मिलित होगा, और

(ख) यदि उपर्युक्त 36 मास में से अन्तिम मास मार्च नहीं है तो, उक्त अन्तिम मास के अन्त के अतिशेष में, उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई है, उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की अवधि की बाबत अभिदानों पर ब्याज सम्मिलित होगा ।

टिप्पण 2 : इस स्कीम के अधीन संदाय पूर्ण रुपयों में होना चाहिए । यदि देय रकम में रुपए का कोई भाग सम्मिलित है तो वह निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा (50 पैसों को अगला एक रुपया गिना जाएगा) ।

टिप्पण 3 : इस स्कीम के अधीन संदेय कोई राशि बीमा के धन के रूप में है अतः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा 3 द्वारा दिया गया सांविधिक संरक्षण, इस स्कीम के अधीन संदेय राशियों को लागू नहीं होगा ।

टिप्पण 4 : यह स्कीम निधि के उन अभिदाताओं को भी लागू होती है जो परिषद् के ऐसे किसी एक अथवा एक से अधिक निकाय के रूप में पुनर्गठित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी स्वायत्त संगठन को स्थानान्तरित कर दिए जाते हैं और जो ऐसे स्थानान्तरण पर, उन्हें दिए गए विकल्प के अनुसरण में, इन विनियमों के अनुसार इस निधि में अभिदान करने का विकल्प देते है ।

टिप्पण 5 : (क) : परिषद् के ऐसे कर्मचारी की दशा में जिसे विनियम 4 के उपविनियम (3) या उपविनियम (4) के अधीन, निधि के फायदे देना स्वीकार किया गया है किन्तु जिसकी मृत्यु, निधि में उसे सम्मिलित किए जाने की तारीख से यथास्थिति, 3 वर्ष सेवा पूरी होने के पूर्व अथवा 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व हो जाती है, पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की वह अवधि, जिसकी बाबत उसके अभिदान और नियोजक के अभिदाय की रकम, यदि कोई है, उन पर ब्याज के साथ, प्राप्त हो गई है, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएगी ।

(ख) नियत अवधि के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की दशा में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की दशा में, यथास्थिति, केवल ऐसी नियुक्तियां या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए गणना में ली जाएगी ।

(ग) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को लागू नहीं है ।

टिप्पण 6 : इस स्कीम की बाबत व्यय के बजट प्राक्कलन उस लेखा अधिकारी द्वारा, जो निधि के लेखा रखे जाने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे व्यय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसी रीति में तैयार किए जाएंगे, जिस रीति में अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्राक्क्लन तैयार किए जाते हैं ।

22. **कटौतियां** :

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि निधि में अभिदाता के नाम जमा रकम का उस निधि में से संदाय किए जाने से पूर्व उसमें विनियम 11 और 12 के अधीन जमा, परिषद् के किसी अभिदाय और उस पर ब्याज की रकम से अधिक रकम निकल जाए -

(ए) परिषद् के अध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि -

(i) यदि अभिदाता को अवचार, दिवाले या अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया है तो उन सभी रकमों की जो ऐसे अभिदाय और ब्याज की द्योतक हैं उसमें से कटौती करके परिषद् को संदाय किया जाए,

परन्तु जहां परिषद् के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार की कटौती से अभिदाता को बहुत अधिक कष्ट होगा तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी कटौती में से उस अभिदान और ब्याज की रकम के, जो अभिदाता को उस दशा में संदेय होती जब वह चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त हुआ होता, दो तिहाई से अनधिक रकम तक की छूट दे सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि पदच्युति का ऐसा कोई आदेश बाद में रद्द कर दिया जाता है तो इस प्रकार काटी गई रकम, सेवा में उसके फिर से बहाली किए जाने पर, निधि में उसके नाम फिर से जमा कर दी जाएगी,

(ii) यदि अभिदाता, उस रूप में अपनी सेवा के आरम्भ से पांच वर्ष के भीतर, सेवा से त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु या अधिवर्षिता से अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा किए जाने से कि वह आगे सेवा करने के अयोग्य है, अथवा पद समाप्त कर दिए जाने अथवा स्थापना में कमी कर देने से भिन्न किसी कारण से परिषद् के अधीन कर्मचारी नहीं रह जाता है तो उन सभी रकमों का, जो ऐसी सभी रकमों और ब्याज की द्योतक है, उसमें से कटौती करके परिषद् को संदाय किया जाए,

(बी) परिषद् के अध्यक्ष यह निदेश दे सकेंगे कि अभिदाता द्वारा परिषद् के प्रति उपगत किसी दायित्व के अधीन देय किसी रकम की उसमें से कटौती करके परिषद् को संदाय किया जाए ।

टिप्पण 1 : इस विनियम के खण्ड (ए) के उपखण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए -

(क) पांच वर्ष की अवधि परिषद् के अधीन अभिदाता की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से गिनी जाएगी,

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय के अधीन, या सोसाइटी/रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वायत्त संगठन के अधीन, सेवा भंग के बिना और केन्द्रीय सरकार की समुचित अनुज्ञा से, नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया त्यागपत्र सरकारी सेवा से त्यागपत्र नहीं माना जाएगा ।

टिप्पण 2 : इस विनियम के अधीन परिषद् के अध्यक्ष की शक्तियां, उसमें निर्दिष्ट रकमों की बाबत, उन अग्रिमों की, जिनके अनुदान के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हैं, मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएगी ।

संदाय

23 : निधि में से रकम का संदाय करने की रीति

(1) जब निधि में अभिदाता के नाम जमा कोई रकम, अथवा विनियम 2 के अधीन की गई कटौती के पश्चात बचा उसका अतिशेष संदेय हो जाता है, तब लेखा अधिकारी का, अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि जब उस विनियम के अधीन ऐसी कोई कटौती करने का निदेश न दिया गया

हो तब, कोई भी कटौती नहीं की जानी है, यह कर्तव्य होगा कि वह इस निमित्त उपविनियम (3) में यथाउपबन्धित संदाय करे ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे इन विनियमों के अधीन कोई रकम या पालिसी संदत्त, समनुदिष्ट, पुनःसमनुदिष्ट या परिदत्त की जानी है, ऐसा पागल है जिसकी सम्पदा के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इस निमित्त कोई प्रबन्धक नियुक्त किया गया है तो संदाय या पुनः समनुदेशन या परिदान ऐसे प्रबन्धक को ही किया जाएगा, न की पागल को ।

परन्तु यदि कोई प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है और जिस व्यक्ति को रकम संदेय है उसको किसी मजिस्ट्रेट ने पागल प्रमाणित किया है तो कलक्टर के आदेशों के अधीन संदाय, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 95 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसके भारसाधन में ऐसा पागल है, और लेखा अधिकारी पागल के भारसाधक व्यक्ति को उतनी ही रकम का संदाय करेगा जितनी वह ठीक समझे और यदि कोई अधिशेष रह जाएगा तो ऐसा अधिशेष अथवा उसका ऐसा भाग, जिसे वह ठीक समझे, पागल के कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए दिया जाएगा जो भरण-पोषण के निमित्त उस पर आश्रित हैं ।

(3) निकाली गई रकमों का संदाय केवल भारत में ही किया जाएगा । जिन व्यक्तियों की रकमें संदेय हैं, वे भारत में संदाय प्राप्त करने के अपने प्रबन्ध स्वयं करेंगे । संदाय का दावा करने के लिए अभिदाता द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात -

(i) अभिदाता को समर्थ बनाने के लिए स्थिति अनुसार सदस्य सचिव, राअशिप/क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समिति, राअशिप प्रत्येक अभिदाता को आवश्यक फार्म या तो उस तारीख से एक वर्ष पूर्व जिसको अभिदाता अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करता है या उसकी प्रत्याशित सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व, यदि वह पहले हो, इन अनुदेशों के साथ भेजेगा कि उन्हें सम्यक् रूप से भर कर अभिदाता द्वारा फार्मों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर लौटा दिया जाना चाहिए । अभिदाता निधि में से रकम के संदाय के लिए आवेदन, स्थिति अनुसार सदस्य सचिव राअशिप/क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समिति, राअशिप के माध्यम से लेखा अधिकारी को देगा । आवेदन -

(ए) उसकी अधिवर्षिता की तारीख या उसकी सेवानिवृत्ति की प्रत्याशित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा विवरण में यथाउपदर्शित निधि में उसके नाम जमा पड़ी रकम के लिए, या

(बी) ऐसे मामलों में, जिसमें लेखा विवरण अभिदाता ने प्राप्त न किया हो, उसके खाता लेखे में उपदर्शित रकम के लिए किया जाएगा ।

(ii) स्थिति अनुसार सदस्य सचिव, राअशिप/क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय समिति, राअशिप आवेदन को लेखाधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसमें चालू अग्रिमों के प्रति की जाने वाली वसूलियां और वसूल की जाने वाली किस्तों की संख्या उपदर्शित की जाएंगी और इसमें लेखा अधिकारी द्वारा भेजी गई अभिदाता की पिछली लेखा विवरणी में सम्मिलित अवधि के पश्चात की गई रकम की निकासियां भी उपदर्शित की जाएंगी ।

(iii) लेखा अधिकारी लेजर खाते के साथ सत्यापन करने के पश्चात आवेदन में उपदर्शित रकम के लिए अधिवार्षिता की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व एक प्राधिकार जारी करेगा किन्तु वह अधिवार्षिता की तारीख पर संदेय होगा,

(iv) खण्ड (iii) में वर्णित प्राधिकार संदाय की प्रथम किस्त का गठन करेगा । संदाय के लिए द्वितीय प्राधिकार अधिवार्षिता के पश्चात यथासम्भव शीघ्र जारी किया जाएगा । इसका सम्बन्ध खण्ड (i) के अधीन दिए गए आवेदन में वर्णित रकम के बाद में अभिदाता द्वारा किए गए अभिदानों तथा उन अग्रिमों के प्रति किस्तों के जो प्रथम आवेदन के समय चालू थी, प्रतिदाय से होगा,

(v) अन्तिम रूप से संदाय किए जाने के लिए लेखा अधिकारी को आवेदन अग्रेषित करने के पश्चात अग्रिम रकम निकालने की मंजूरी दी जा सकेगी किन्तु अग्रिम/निकासी की रकम सम्बन्धित लेखा अधिकारी से प्राधिकार मिलने पर निकाली जाएगी जो इसकी व्यवस्था, जैसे ही उसे मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त हो, करेगा ।

टिप्पण : जब अभिदाता के नाम जमा रकम विनियम 19, 20 तथा 21 के अधीन संदेय हो गई है तो लेखा अधिकारी उपविनियम (3) में उपदर्शित रीति से रकम का तुरन्त संदाय प्राधिकृत करेगा ।

पेंशनवाली सेवा

24. पेंशनवाली सेवा में स्थानान्तरण पर प्रक्रिया :

(1) यदि किसी अभिदाता को राष्ट्रपति के अधीन पेंशनवाली सेवा में स्थायी रूप से अन्तरित कर दिया जाता है तो उसे, अपने विकल्प पर -

(क) निधि में अभिदान जारी रखने का हक होगा, इस दशा में वह किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा; या

(ख) ऐसी पेंशनवाली सेवा की बाबत पेंशन उपार्जित करने का हक होगा, इस दशा में उसके स्थायी रूप से अन्तरण की तारीख से -

(i) उसका निधि में, अभिदान करना समाप्त हो जाएगा;

(ii) निधि में उसके नाम जमा सरकार द्वारा किएं गए अभिदायों की रकम, उस पर ब्याज सहित, सरकार को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी;

(iii) निधि में उसके नाम जमा अभिदानों की रकम, उस पर ब्याज सहित, सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी, जिसमें उसके बाद वह उस निधि के नियमों के अनुसार अभिदान करेगा; और

(iv) तब वह उस पेंशन सेवा के लिए, जो उसने स्थायी स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व की है, सुसंगत पेंशन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक गणना के लिए हकदार होगा ।

(2) अभिदाता उपविनियम (1) के अधीन अपना विकल्प, उसे पेंशन वाली सेवा में स्थायी रूप से अन्तरित करने वाले आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी को एक पत्र द्वारा संसूचित करेगा और यदि उस अवधि के भीतर लेखा अधिकारी के कार्यालय में कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो अभिदाता के बारे में यह माना जाएगा कि उसने अपने विकल्प का प्रयोग उस उपविनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रूप में किया है ।

25. प्रक्रिया संबंधी विनियम

अभिदान के संदाय के समय खाते की संख्या का बताया जाना : परिलब्धियों में से कटौती करते या नकद अभिदाय का भारत में संदाय करते समय अभिदाता, निधि में अपने खाते की वह संख्या बताएगा जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे पहले ही संसूचित की गई है ।

टिप्पण - लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अभिदाता के खाते को दी गई संख्या में किसी परिवर्तन को उसे संसूचित करे ।

26. अभिदाता को लेखे का वार्षिक विवरण दिया जाना :

(1) प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात यथासंभव शीघ्र, लेखा अधिकारी प्रत्येक अभिदाता की निधि में उसके लेखे का एक विवरण भेजेगा, जिसमें उस वर्ष की पहली अप्रैल को उसका आरम्भिक अतिशेष, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, उस वर्ष की 31 मार्च को जमा किए गए ब्याज की कुल रकम और उस तारीख को अन्तिम अतिशेष दिखाया जाएगा । लेखा अधिकारी लेखा विवरण के साथ इस आशय का प्रश्न संलग्न करेगा कि क्या अभिदाता -

(क) विनियम 5 के अधीन किए गए नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन करना चाहता है,

(ख) ऐसे किसी मामले में, जहां उसने विनियम 5 के उपविनियम (1) के प्रावधान के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के पक्ष में कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, उसका कोई कुटुम्ब बन गया है या नहीं ।

(2) अभिदाता को वार्षिक विवरण की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करना चाहिए और तत्सम्बन्धी गलतियां उस विवरण की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाई जानी चाहिए ।

(3) लेखा अधिकारी, यदि अभिदाता द्वारा अपेक्षा की जाए, वर्ष में एक बार, किन्तु एक बार से अधिक नहीं, अभिदाता को उस कुल रकम की जानकारी देगा जो उस अन्तिम मास की, जिसके लिए उसका लेखा लिखा जा चुका है, समाप्ति पर निधि में उसके नाम जमा है ।

सामान्य

27. व्यष्टिक मामलों में विनियमों के उपबन्धों का शिथिल किया जाना :

जब परिषद् के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि इन विनियमों में से किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी अभिदाता को अत्यधिक कष्ट हो रहा है या होना संभाव्य है तो वह, इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, अभिदाता के मामले में ऐसी रीति से कार्रवाई कर सकेगा जो उसे न्यायोचित और साम्यपूर्ण प्रतीत हो ।

28. निर्वचन :

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसे परिषद् के अध्यक्ष के माध्यम से विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

29. निधियों का निवेश

विनियमों के अधीन निधि में प्रदत्त सभी राशियां या तो निवेश के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित ढंग से अथवा ऐसे ढंग से निवेश की जाएंगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों का अतिक्रमण न करता हो ।

30. भारत सरकार के निर्णयों और आदेशों की प्रयोज्यता

अंशदायी भविष्य निधि विनियम (भारत) 1962 के अधीन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्णय और आदेश आवश्यक संशोधनों सहित एनसीटीई के कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे ।

IndiaCode

एस. के. रॉय, सदस्य सचिव
[विज्ञापन III/IV/131/02/असा.]

अनुबन्ध I

नाम निर्देशन का प्रारूप

[विनियम 5(3) देखें]

खाता संख्या ----------

मैंनीचे उपदर्शित निधि में मेरे नाम जमा रकम के संदेय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में, जब वह संदेय हो चुकी हो, किन्तु संदत्त न की गई हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर उक्त रकम प्राप्त करने के लिए मैं नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जो अभिदायी भविष्य निधि विनियम (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) 2003 के विनियम 2 में यथापरिभाषित मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य हैं/है/मेरे कुटुम्ब का/के सदस्य नहीं है/हैं, नामनिर्दिष्ट करता हूं

नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) का नाम और पूरा पता	अभिदाता के साथ सम्बन्ध	नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की आयु	प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय अंश	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के यदि कोई हो, नाम, पते और सम्बन्ध जिन्हें नामनिर्देशिती का अधिकार उस दशा में संक्रमित हो जाएगा जब उसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए	यदि नामनिर्देशित विनियम 2 में यथाउपबंधित कुटुम्ब का सदस्य नहीं है तो कारण उपदर्शित करें
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2						
3.						
4.						
5.						

तारीख ---------- 200 ---------- स्थान ----------

अभिदाता के हस्ताक्षर ----------

स्पष्ट अक्षरों में नाम ----------

पदनाम ----------

हस्ताक्षर ----------

ऐसे दो साक्षी जिनके समक्ष हस्ताक्षर किए गए

नाम और पता

1.

2.

IndiaCode

(प्रारूप का पृष्ठ भाग)

कार्यालय अध्यक्ष/वेतन और लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के उपयोग के लिए स्थान

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पदनाम ---------- से नामनिर्देशन प्राप्त होने की तारीख ----------

हस्ताक्षर ----------
कार्यालय अध्यक्ष/वेतन तथा लेखा अधिकारी ----------
पदनाम ----------
तारीख ----------

अभिदाता के लिए अनुदेश

(क) अपना नाम लिखिए ।

(ख) निधि के नाम को उपयुक्त रूप से पूरा किया जाए ।

(ग) "कुटुम्ब" शब्द की जो परिभाषा विनियम 2(1)((iv) में दी गई है उसे नीचे पुनःउद्धृत किया गया है :

IndiaCode

"कुटुम्ब" से अभिप्रेत है -

(i) पुरुष अभिदाता की दशा में, पत्नी या पत्नियां, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित नहीं है वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही;

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक हो गई है या वह उस समुदाय की जिसकी वह है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन उससे भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं रह गई है, तो उसे तब से जब तक कि अभिदाता लेखा अधिकारी को बाद में लिखित रूप में यह सूचित न करे कि उसे उस रूप में माना जाता रहेगा, यह समझा जाएगा कि उन मामलों में, जिनका संबंध इन विनियमों तक है, अभिदाता के कुटुम्ब की सदस्य नहीं रह गई है;

(ii) स्त्री अभिदाता की दशा में, पति, माता-पिता, संतानें, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृतक पुत्र की विधवा और संतानें और जहां अभिदाता के माता-पिता जीवित न हों वहां उसके माता-पिता के पितामह या पितामही या मातामह या मातामही :

परन्तु यदि अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करके अपने कुटुम्ब से अपने पति को अपवर्जित करने की इच्छा व्यक्त करती है तो पति को, तब से जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित रूप में रद्द न कर दे, यह समझा जाएगा कि वह उन मामलों में जिनका संबंध इन विनियमों से है, अभिदाता के कुटुम्ब का सदस्य नहीं रह गया है ।

टिप्पण - "संतान" से धर्मज संतान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत जहां अभिदाता को शासित करने वाली स्वीय विधि द्वारा दत्तक को मान्यता प्राप्त है, दत्तक संतान आती है अथवा अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 (1890 का 8वां) के अधीन ऐसा कोई वार्ड आता है जो परिषद् के कार्मिक के साथ रहता है और जिसे परिषद् के कार्मिक ने एक विशेष वसीयत के माध्यम से वही दर्जा प्रदान किया है जो कि नैसर्गिक रूप में जन्मी सन्तान को प्राप्त है ।

(घ) कालम 4 - यदि केवल एक ही व्यक्ति को नामनिर्देशित किया जाता है तो उस नामनिर्देशिती के सामने 'सम्पूर्ण' लिखा जाएगा । यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्देशित किया जाता है तो, प्रत्येक नाम-निर्देशिती को संदेय अंश इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाएगा जिससे भविष्य निधि की पूरी रकम उसके अन्तर्गत आ जाए ।

(ड.) स्तम्भ 5 - इस स्तम्भ में नामनिर्देशती (नामनिर्देशितियों) की मृत्यु को आकस्मिकताओं के रूप में वर्णित किया जाएगा ।

(च) स्तम्भ 6 - अपना नाम न लिखें ।

(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान में एक रेखा खींच दें जिससे आपके हस्ताक्षर करने के पश्चात उस स्थान में कोई और नाम न लिखा जा सके ।

अनुबन्ध II

IndCode

अस्थायी अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी
विनियम (13)

1. ऐसा अग्रिम जिसकी मंजूरी के लिए विनियम 13 के उप-विनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं हैं, वह स्थिति अनुसार सदस्य सचिव/क्षेत्रीय निदेशक/उपसचिव द्वारा और यदि प्राथी स्वयं सदस्य सचिव/क्षेत्रीय निदेशक/उपसचिव स्वयं हो तो अध्यक्ष, राअशिप द्वारा मंजूर किया जा सकता है ।

2. ऐसा अग्रिम जिसकी मंजूरी के लिए विनियम 13 के उपविनियम (2) के अधीन विशेष कारणों की अपेक्षा है, अध्यक्ष, राअशिप द्वारा मंजूर किया जा सकता है ।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2003

No. F. 9-12/2002-NCTE.—In exercise of the powers conferred by section 10 read with Section 32(2) (c) of National Council for Teacher Education (NCTE) Act, 1993 and in pursuance of Ministry of Finance (Department of Expenditure) Notification No. 4(1)-EV/95(II) dated 15-01-2001, the NCTE hereby makes the following regulations :—

1. Short title and commencement

i) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (NCTE) Contributory Provident Fund Regulations 2003

ii) They shall come into force with effect from 17.8.1995 (the date of inception of the Council).

IndiaCode

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires -

i) "Accounts Officer" means the officer to whom duty to maintain the Provident Fund Account of the subscriber has been assigned by the NCTE.

ii) Year means a financial year.

iii) "Emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules and includes -

a) dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;
b) any wages paid by the Council to employees not remunerated by fixed monthly pay; and
c) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service.

iv) "Family" means -

a) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent :

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

b) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in the matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.]

Note - "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the Council servant and is treated as a member of the family and to whom the Council servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

v) "Fund" means the Contributory Provident Fund of the Council.

vi) "Leave" means any kind of leave recognised by the Fundamental Rules or the Civil Service Regulations or the Revised Leave Rules, 1933, whichever may be applicable to the subscriber.

(2) Any other expression used in these regulations which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), or in the Fundamental Rules is used in the sense therein defined.

3. Constitution of the Fund

(1) The Fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these regulations shall be credited in the books of the Council to an account named "NCTE Contributory Provident Fund Account". Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these regulations shall be transferred to "Deposits" after the 31st March of the year and treated under the ordinary rules relating to deposits.

4. Conditions of eligibility

(1) These regulations shall apply to every employee of the Council who

a) has been admitted before these regulations came into force to the benefits of the Fund; or

b) may be admitted by the Council to the Fund after these regulations come into force :

Provided that these regulations shall not apply to any such employee between whom and the Council an agreement subsists in respect of a Provident Fund other than an agreement providing for the application to him of these regulations, and, in the case of an agreement so providing shall apply subject to the terms of such agreement.

Note - Any officer retired from any Civil or Military Department of the Central Government or from services of any State Government or from the services of any local fund administered by the Government, or Port Trust or Railways, or from a Government Autonomous Society or a body corporate owned or controlled by Government may on re-employment in the Council be admitted to the Fund by the appointing authority subject to the general orders issued in this behalf by the Government of India from time to time.

(2) Every employee of the Council to whom these regulations apply shall be subscriber to the Fund.

(3) If an employee of the Council admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any other Contributory or Non-Contributory Provident Fund of the Central Government, the amount of his subscriptions and Government Contributions in the other Contributory Provident Fund or the amount of his subscriptions in the Non-Contributory Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be

transferred to his credit in the Fund, with the approval of the Council/consent of the other Government.

Note 1 The provisions of sub- regulation (3) shall not apply to a person who has retired and is subsequently re-employed with or without a break in service, or to a person who was holding former appointment on contract.

Note 2 The provisions of this regulation shall, however, apply to persons who are appointed without break, whether temporarily or permanently to a post carrying the benefits of these regulations after resignation or retrenchment from service under a Department of Central Government or under the State Government.

Note 3 The provisions of sub- regulation (3) shall also apply mutatis mutandis to persons who are transferred without any break, from the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860.

5. Nominations

(1) A subscriber shall, at the time of joining the fund, send to the Accounts Officer a nomination through the Head of the Office/Department as the case may be conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable, or having become payable, has not been paid :

Provided that, if, at the time of making the nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other Provident Fund to which he was subscribing before joining the Fund, shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in this Fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulation(1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in ANNEXURE-I.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall along with such notice or separately send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination -

a) in respect of any specified nominee that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

b) that the nomination shall become invalid in the event of happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

Provide further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternative nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee, in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub- regulation (5) or the provisos thereto, the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(7) Every nomination made and every notice of cancellation given, by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect, on the date on which it is received by the Accounts Officer.

Note- In this regulation, unless the context otherwise requires 'person' or 'persons' shall include 'a company or association' or body of individuals, whether incorporated or not. It shall also include a Fund such as the Prime Minister's National Relief Fund or any other Trust or Fund, to which nomination may be made through the Secretary or other executive of the said Funds or Trusts authorised to receive payments.

6. Subscriber's Account

An account shall be opened in the name of each subscriber, in which shall be shown -

i) his subscriptions;
ii) Council's contribution made under Regulation 11 to his account;
iii) interest, as provided by Regulation 12, on subscriptions;
iv) interest, as provided by Regulation 12, on contribution;
v) advances and withdrawals from the Fund.

IndiaCode

Conditions and Rates of Subscriptions

7. Conditions of Subscriptions

(1) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service but not during a period of suspension :-

Provided that a subscriber on re-instatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrears of subscriptions payable for that period.

Note- A subscriber need not subscribe during a period treated as dies-non.

(2) A subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

(3) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave referred to in sub- regulation (2) by written communication to the Head of the Office/Department in Headquarters and Regional Committees before he proceeds on leave.

Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

The option of a subscriber intimated under this sub- regulation shall be final.

(4) A subscriber who has, under Regulation 20, withdrawn the amount standing to his credit in the Fund, shall not subscribe to the Fund after such withdrawal, unless he returns to duty.

(5) Notwithstanding anything contained in sub- regulation (1) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Head of Office in writing his option to subscribe for the said month.

8. Rates of Subscriptions

(1) The amount of subscriptions shall be fixed by the subscriber himself subject to the following conditions, namely :-

a) It shall be expressed, in whole rupees.
b) It may be any sum, so expressed not less than 10 percent of the emoluments and not more than his emoluments.

(2) For the purposes of sub- regulation (1) the emoluments of a subscriber shall be :-

a) in the case of a subscriber who was in the service of the Council on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :
Provided that :-
i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;
ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;
iii) if the subscriber joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on such subsequent date;

b) in the case of a subscriber who was not in the service of the Council on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the first day of his service or, if he joined the Fund for the first time on a date subsequent to the first

day of his service, the emoluments to which he was entitled on such subsequent date :

Provided that if the emoluments of the subscriber are of a fluctuating nature, they shall be calculated in such manner as the Council may direct.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of the monthly subscription in each year in the following manner :-

a) if he was on duty on the 31st March of preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

b) if he was on leave on the 31st March of the preceding year and elected not to subscribe during such leave, or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his retum to duty;

c) if he has entered the service of the Council for the first time during the year, or joins the Fund for the first time, by the deduction which he makes in this behalf, from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

d) if he was on leave on the 31st March of preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he cause to be made in this behalf from his salary bill for that month;

e) if he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him to the Council on account of subscription for the month of April in the current year;

f) if his emoluments are of the nature referred to in the proviso to sub-regulation (2), in such manner as the Council may direct.

(4) The amount of subscription so fixed may be -

a) reduced once at any time during the course of the year;

b) enhanced twice during the course of the year; or

c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced, it shall not be less than the minimum prescribed in sub- regulation (1) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

9. Transfer to foreign service or deputation out of India

When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the regulations of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

10. Realisation of subscriptions

(1) When emoluments are drawn from the Council recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) When emoluments are drawn from any other source the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer :

Provided that in the case of subscribers on deputation to Government/a Government Autonomous Society/a body corporate owned or controlled by Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by the Govt./such society or body corporate.

11. Contribution by the Council

(1) The Council shall with effect from 31st March of each year, make a contribution to the account of each subscriber :

Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year, contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casualty :

Provided further that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the regulations not to, or does not, subscribe to the Fund.

(2) The contribution shall be such percentage of the subscriber's emoluments drawn on duty during the year or period, as the case may be, as has been or may be prescribed by the Council by general or special order :

Provided that if, through oversight or otherwise, the amount subscribed is less than the minimum subscription payable by the subscriber under sub-regulation (1) of Regulation 8 and if the short subscription together with the interest accrued thereon is not paid by the subscriber within such time as may be specified by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub- regulation (2) of Regulation 13, the contribution payable by the Council shall be equal to the amount actually paid by the subscriber or the amount normally payable by the Council whichever is less, unless the Council, in any particular case, otherwise directs.

(3) If a subscriber is on deputation out of India, the emoluments which he would have drawn had he been on duty in India shall, for the purpose of this Regulation, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(4) Should a subscriber elect to subscribe during leave, his leave salary shall, for the purpose of this regulation, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(5) Should a subscriber elect to pay arrears of subscriptions in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for the period on reinstatement, shall, for the purpose of this Regulations, be deemed to be emoluments drawn on duty.

(6) The amount of any contribution payable in respect of a period of foreign service shall, unless it is recovered from the foreign employer, be recovered by the Council from the subscriber.

(7) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee).

12. Interest

(1) The Council shall pay to the credit of the account of a subscriber interest, at such rate as the Central Government may prescribe from time to time for the payment of interest on subscriptions to General Provident Fund, on the amount to his credit in the Fund.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner :-

i) on the amount to the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year, less any sums withdrawn during the current year - interest for twelve months ;

ii) on sums withdrawn during the current year - interest from the Ist April of the current year upto the last day of the month preceding the month of withdrawal ;

iii) on all sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year-interest from the date of deposit up to the 31st March of the current year.

iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest rupee in the manner provided in sub- regulation (7) of Regulation 11 :

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, upto the date on which the amount standing to the credit of the subscriber became payable.

(3) For the purposes of this regulation the date of deposit shall, in the case of recoveries from emoluments, be deemed to be the first day of the month in which they are recovered; and, in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if they are received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but, if they are received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been a delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently in the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the regulations, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub- regulation (2) of Regulation 10, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts officer before the fifteenth day of that month:

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under Regulation 23, interest thereon upto the end of the month preceding that in which payment is made or upto the end of the sixth month after the month in which such amount

became payable, whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid:

Provided that no interest shall be paid in respect of any period after the date which the Accounts Officer has intimated to that person (or his agent) as the date on which he is prepared to make payment in cash, or if he pays by cheque, after the date on which the cheque in that person's favour is put in the post.

Provided further that where a subscriber on deputation to a body corporate, owned or controlled by the Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in Govt. or in such body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with date of issue of order of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub- regulation.

Note- Payment of interest on the Fund beyond a period of 6 months may be authorised by -

a) The Accounts Officer a period of six months; and
b) Member Secretary upto a period of one year; and
c) Chairman of the Council in consultation with the Financial Advisor of the Ministry of Human Resource Development upto any period;

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the Ist April of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which, under Regulation 19 or Regulation 20 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may successively prescribed under sub- regulation (1) of

this Regulation and so far as may be in the manner described in this regulation.

(7) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to the credit on the date of drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the Fund, shall be repaid by him with interest thereon, in one lumpsum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lumpsum from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount, together with interest, is recovered. For this sub- regulation, the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2-1/2 per cent over and above the normal rate on Provident Fund balance under the sub-regulation (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to the Council's account under a distinct sub-head "Interest on overdrawal from Provident Fund" under the Head "Interest Receipts".

13. Advances from the Fund

(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :-

a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

b) to meet the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :-

i) for education outside India for an academic, technical, professional or vocational course beyond the High School Stage; and

ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School Stage, provided that the course of study is for not less than three years;

c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Government source;

e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in any enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part;

f) to purchase the consumer durables like TV, VCR/VCP, washing machine, cooking range & computer.

(1 A) The Chairperson of the Council may, in special circumstances sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last installment of any previous advance :

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

(3) When an advance is sanctioned under sub- regulation (2) before repayment of last installment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be added to the advance so sanctioned and the installment for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(4) After sanctioning the advance the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub- regulation (3) of Regulation 23.

NOTE (1) - For the purpose of this, pay includes dearness pay, where admissible.

NOTE (2) - The appropriate sanctioning authority for the purpose of this regulation is specified in Annexure II.

NOTE (3) - A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub- regulation (1) of Regulation 13.

14. Recovery of advances

(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four. In special cases where the amount of advance exceeds three months pay of the subscriber under sub- regulation (2) of Regulation 13, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six. A subscriber may, at his option, make repayment in a smaller number of instalments than that prescribed. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of the such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in Regulation 10 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent, while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calender month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during the recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount withdrawn, shall, forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default be ordered by the Accounts officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lumpsum or in monthly instalments not exceeding twelve, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub- regulation (2) of Regulation 13 :

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by him within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman of the Council for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub- regulation.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited, as they are made, to the account of the subscriber in the Fund.

15. Wrongful use of advance

Notwithstanding anything contained in these regulations, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under the Regulation 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

Note : The term "emoluments" in this regulation does not include subsistence grant.

16. Withdrawal from the Fund

(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub- regulation (2) of Regulation 13, at any time -

(A) After the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund, for one or more of the following purposes, namely -

a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases namely -

i) for education outside India for academic technical, professional or vocational course beyond the High School stage ; and

ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage ;

b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or daughters, and any other female relation actually dependent on him ;

c) meeting the expenses in connection with the illness, including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him ;

d) meeting the cost of consumer durables such as TV, VCR, washing machine, cooking range, geysers and computers.

(B) During the service of a subscriber from the amount of subscriptions and interest thereon standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely -

a) building or acquiring a suitable house or ready built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by the Delhi Development Authority, State Housing Board or a House Building Co-operative Society;

b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring suitable house or ready-built flat for his residence';

c) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

d) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Society at a place other than the place of duty ;

e) construction of a house ;

(C) Within 12 months before the date of subscriber's retirement on superannuation from the amount of subscription and interest thereon standing to the credit in the Fund, without linking to any purpose.

(D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the NCTE Employees Group Savings Linked Insurance Scheme (CEGSLIS) on self-financing and contributory basis.

NOTE 1 - A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Council for the grant of advance for house-building purpose, or has been allowed any assistance in this regard from any other source of the Council shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clauses (a),(c) and (e) of clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme Subject to the limit specified in the proviso to sub- regulation (1) of Regulation 17.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Society, he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clauses (a),(e) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE 2 - Withdrawal under sub-clauses (a), (c),(d) or (e) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE 3 - The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed 3/4ths of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is: 3/4ths of [the balance as on date *plus* amount of previous withdrawl(s) for the house in question minus] the amount of the previous withdrawal(s).

NOTE 4 - Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE 5 - Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (e) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed upto the limit laid down under Note-3.

NOTE 6 - A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under Regulation 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Contributory Provident Fund account with reference to the latest available statement of Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subscriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of the withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the Fund Account number and the Accounts Officer maintaining the accounts and a copy of the sanction should invariably be endorsed to that Accounts Officer. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid one lumpsum by the subscriber to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Chairman, National Council for Teacher Education.

(3) After sanctioning the withdrawal, the amount shall be drawn on the authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under Clause (ii) of sub- regulation (3) of regulation 23.

17. Conditions for withdrawal

(1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in Regulation 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund or six months pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit upto three-fourths in the case of withdrawal under sub-clause (A) and 90% in the case of withdrawal under sub-clause (B) of clause (1) of Regulation 16 of the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund having due regard to (a) the object for which the withdrawal is being made; (b) the status of the subscriber; and (c) the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund :

Provided that in no case the maximum amount of withdrawl for purposes specified in clause (B) of sub- regulation (1) of Regulation 16 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under the relevant regulations of the Scheme of the Society for the grant of advancnes for house building purposes:

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Council for the grant of advances for house building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other source of the Council, the sum withdrawn under this sub- regulation together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other source of the Council shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under the relevant regulations of the aforesaid Scheme.

"Provided further that the withdrawal admissible under Regulation 16 (1) (C) shall not exceed 90% of amount of subscription and Interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund".

NOTE 1 - A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub- regulation (1) of Regulation 16, may be drawn in instalments the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

NOTE 2 - In case where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purpose of sub- regulation (1) of regulation 17.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under regulation 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by the authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn, or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forth-with be repaid in one lumpsum by the subscriber to the Fund, and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from the emoluments either in a lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Chairperson, National Council for Teacher Education :

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation, the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in the sub- regulation.

(3) a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub- regulation (1) of regulation 16 to withdraw money from the amount of subscription together with interest thereon standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Council) gift, exchange or otherwise without the previous permission of the Chairperson of National Council for Teacher Education :

Provided that such permission shall not be necessary for -

i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, the Life Insurance Corporation or any other corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by the authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

c) If at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Chairperson of the Council, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lumpsum to the Fund, and, in default of such repayment, the sanctioning authority shall after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lumpsum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

NOTE : A subscriber who has taken loan from the Council and in lieu thereof has mortgaged the house or house-site to the Council shall be required to furnish the declaration to the following effect, namely :-

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to the Council."

18. Conversion of an advance into a withdrawal

A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 13 for any of the purposes specified in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (A) of sub- regulation (1) of regulation 16 may convert, at his discretion, by written request addressed to the Accounts Officer, through the sanctioning authority the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulations 16 and 17.

NOTE 1 : Member Secretary in the case of NCTE Headquarters and Regional Director in the case of NCTE Regional Committee may be asked by the administrative authority to stop recoveries from the pay bills when the application for such conversion is forwarded to the Accounts Officer by that authority.

NOTE 2 : For the purpose of sub- regulation (1) of regulation 17, the amount or subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

19. Final withdrawal of accumulations in the Fund

When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall, become payable to him :

Provided that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently re-instated in the service, shall, if required to do so by the Council, repay any amount paid to him from the Funds in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation - 12 in the manner provided in the proviso to regulation 20. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund, the part which represents his subscription and interest thereon and the part which represents the contribution of the Council with interest thereon, being accounted for in the manner provided in regulation 6.

Explanation I : A subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, with or without a break in service, shall not be deemed to quit the service, when he is transferred without any break in service to a new post under a State Government or in a department of the Central Government (in which he is governed by another set of Provident Fund regulations) and without retaining any connection with his former post. In such a case, his subscription and the contribution of the Council, together with interest thereon, shall be transferred -

a) to his account in the other Fund in accordance with the regulations of that Fund, if the new post is in a department of the Central Government, or

b) to a new account under the State Government concerned, if the new post is under a State Government and the State Government consents, by general or special order, to such transfer of his subscription, the contribution of the Council and interest.

Note : Transfers shall include cases of resignations from service in order to take up appointment in a Department of the Central Government or under the State Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Society. In cases where there has been a break in service, it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station.

The same shall hold good in cases of retrenchment followed by immediate employment whether under the Central Government or State Government or any Autonomous organisation of the Central or State Government.

Explanation II : When a subscriber other than who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed is transferred, without any break, to the service under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscription and the contribution of the Council, together with interest thereon shall not be paid to him but shall be tranferred with the consent of that body, to his new Provident Fund account under that body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 without any break and with proper permission of the Central Government. The time taken to join the new post shall not exceed the joining time admissible to an employee of the Council on transfer from one post to another.

Provided the amount of subscriptions and the contribution of the Council together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a public enterprise may, if he so desires be transferred to his new Provident Fund Account under the enterprise if the concerned enterprise also agrees to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

20. Retirement of subscriber

When a subscriber -

a) has proceeded on leave preparatory to retirement, or

b) while on leave, has been permitted to retire or declared by competent medical authority to be unfit for further service,

the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund, shall, become payable to the subscriber:

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Council decided otherwise, repay to the Fund, for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in cash or securities, or partly in cash and partly in securities, by instalments or otherwise, by

recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub- regulation (2) of regulation 13.

21. Procedure on death of subscriber

Subject to any deduction under regulation 22 on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

i) When the subscriber leaves a family -

a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 5 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee in proportion specified in the nomination ;

b) if no such nomination in favour of member or members of the family of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, not withstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares ;

Provided that no share shall be payable to -

(1) sons who have attained majority;
(2) sons of deceased son who have attained majority;
(3) married daughters whose husbands are alive;
(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided also that the widow or widows and the child or children of deceased son shall receive between them an equal part only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

NOTE: Any sum payable under these regulations to a member of the family of subscriber vests in such member under sub-section (2) of section 3 of the Provident Funds Act, 1925.

ii) When the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 5, in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE 1 :When a nominee is a dependent of the subscriber in clause (c) of section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section (2) of section 3 of that Act.

NOTE 2 : When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 5 subsists, or if such nomination relate only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Provident Fund Act, 1925, are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

21-A Deposit linked Insurance Scheme

On the death of a subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average amount of subscription and interest thereon at the credit in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the conditions that -

a) The balance representing subscription with interest thereon at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limit of -

(i) Rupees 25000/- in the case of a subscriber who has held, for greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 12,000/- or more :

(ii) Rupees 15,000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 9,000/- or more but less than Rs. 11,999/-.

(iii) Rupees 10,000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three year, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 3,500/- or more but less than 8,999/-.

(iv) Rupees 6000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 3,500/-.

b) The additonal amount payable under this regulation shall not exceed Rs.60,000/-.

c) The subscriber has put in at least 5 years service at the time of his death.

NOTE 1 : The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed above-

a) the balance at the end of March shall include the annual interest on subscription created in terms of regulation 12 and

b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of the said last month shall include interest on subscription in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

NOTE 2 : Payments under this scheme should be in whole rupees. If an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).

NOTE 3 : Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance-money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Funds Act 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

NOTE 4 : This scheme also applies to those subscribers to the Fund who are transferred to an autonomous organisation consequent upon the regrouping of the Council into one or more such bodies and who, on such transfer, opt, in terms of option given to them, to subscribe to this Fund in accordance with these regulations.

NOTE 5:(a)In case of an employee of the Council who has been admitted to the benefits of the Fund under sub- regulation (3) or sub- regulation (4) of regulation 4 but dies before completion of three years service, or as the case may be, five years service from the date of his admission to the Fund, that period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscriptions and to employer's

contribution, if any together with interest have been received, shall count for purposes of clause (a) and clause (c).

(b) in case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioner's service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this regulation.

(c) this scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

NOTE 6 : The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

22. Deductions

Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by the Council with interest thereon credited under regulations 11 and 12, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of the Fund,

(A) The Chairperson of the Council may direct the deduction therefrom and payment to the Council of -

i) All amounts representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or inefficiency :

Provided that where the Chairperson of the Council is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, he may, by order, exempt from such deduction an amount not exceeding two-third of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber, if he had retired on medical grounds :

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled the amount so deducted shall, on his reinstalment in the service be replaced to his credit in the fund.

ii) All the amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employee under the Council otherwise than by reason of death, superannuation, or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service, or the abolition of the post or the reduction of establishment :

(B) The Chairperson of the Council may direct the deduction therefrom and payment to the Council of any amount due under a liability incurred by a subscriber to Council.

Note 1 : For the purpose of sub-clause (ii) of clause (A) of this regulation

a) the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under the Council.

b) resignation from service in order to take up appointment in a Department of the Central Government or under the State Government or under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) without any break and with proper permission of the Central Government, shall not be treated as resignation from the service of the Council.

Note 2 : The powers of the Chairperson of the Council under this regulation may in respect of the amounts referred to therein also be exercised by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub- regulation (2) of regulation 13.

Payment

23. Manner of payment of amount in the Fund

(1) When the amount standing to the credit of a subscribe in the Fund, or the balance thereof after any deduction under regulation 22, becomes payable it shall be the duty of Accounts Officer after satisfying himself, when no such deduction has been directed under that regulation, that no deduction is to be made to make payment on this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If the person to whom, under these regulations, any amount or policy is to be paid, assigned, re-assigned or delivered is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment or re-assignment or delivery will be made to such manager, and not to the lunatic.

Provided that where no manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall, under the orders of the collector, be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912, to the person having charge of such lunatic and the Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and

the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members to the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber namely :-

i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, Member Secretary, NCTE/Regional Directors of the Regional Committees, NCTE, as the case may be, shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Member Secretary, NCTE/Regional Directors of the Regional Committees, NCTE, as the case may be, for payment of the amount in the Fund. The application shall be made -

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the Subscriber.

ii) The Member Secretary, NCTE/Regional Directors of the Regional Committees, NCTE, as the case may be, shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also after the period covered by the last statement of the Subscriber's account sent by the Accounts Officer.

iii) The Accounts Officer shall after verification with the ledger account issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after the superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

v) After forwarding the application for final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

NOTE: When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under regulations 19, 20 & 21, the Accounts Officer shall authorise prompt payment of the amount in the manner indicated in sub-regulation (3).

Pensionable service

24. Procedure on transfer to pensionable service

(1) If a subscriber is permanently transferred to pensionable service under the President, he shall, at his opinion, be entitled -

(a) to continue to subscribe to the Fund, in which case he shall not be entitled to any pension; or

(b) to earn pension in respect of such pensionable service, in which case, with effect from the date of his permanent transfer -

(i) he shall cease to subscribe to the Fund;

(ii) the amount of contributions by Government with interest thereon standing to his credit in the Fund shall be repaid to Government;

(iii) the amount of subscriptions together with interest thereon standing to his credit in the Fund shall be transferred to his credit in the General provident Fund, to which thereafter he shall subscribe in accordance with the regulations of that Fund; and

(iv) he shall thereupon be entitled to count towards pension, service rendered prior to the date of permanent transfer, to

the extent permissible under the relevant Pension regulations.

(2) A subscriber shall communicate his option under sub- regulation (1) by a letter to the Accounts Officer within three months of the date of the order transferring him permanently to pensionable service; and if no communication is received in the Office of the Accounts Officer within that period, the subscriber shall be deemed to have exercised his option in the manner referred to in clause (b) of that sub- regulation.

25. Procedure regulation

Number of account to be quoted at the time of payment of subscription - When paying subscription in India either by deduction from emoluments or in cash a subscriber shall quote the number of his account in the Fund already communicated to him by the Accounts Officer.

NOTE: It shall be duty of the Accounts Officer to communicate to the subscriber any change in the number assigned to his account.

26. Annual Statement of Accounts to be supplied to Subscriber

(1) As soon as possible after the 31st March of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund, showing the opening balance as on the Ist April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber -

a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 5 ;

b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the provision to sub- regulation (1) of regulation 5.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by subscriber, once but not more than once in year, inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

General

27. Relaxation of the provisions of the regulations in individual cases -

When the Chairperson of the Council is satisfied that the operation of any of these regulations causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, he may, notwithstanding anything contained in these regulation s deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to him to be just and equitable.

28. Interpretation

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Central Government, though the Chairperson of the Council, whose decision thereon shall be final.

29. Investment of Funds

All sums paid into the Fund under the regulations shall be invested either as per the investment pattern prescribed by the Govt. from time to time or in a manner which is non-violative of the provisions of Indian Trust Act, 1882.

30. Applicability of Government of India Decisions and Orders

The Decisions and Orders of the Government of India under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 issued from time to time will be applicable *mutatis mutandis* to the employees of NCTE.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT. III/IV/131/02/Exty.]

Annexure -I
FORM OF NOMINATION
[Regulation 5(3)]

Account No.....

I hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/non-member(s) of my family as defined in Regulation 2 of the Contributory Provident Fund Regulations (National Council for Teacher Education), 2003, to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and full address of the nominees(s)	Relationship with the subscriber	Age of the nominee(s)	Share payable to each nominee	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the even of his/her pre-deceasing the subscriber	If the nominee is not a member of the family as provided in Regulation 2, indicate the reasons
1	2	3	4	5	6	7

Dated this Day of 20 at

Signature of the subscriber
Name in Block letters.....
Designation
Signature.....

Two witnesses to signature

Name and address

1.
2

(Reverse of the form)
space for use by the Head of Office/ Accounts Officer, NCTE

Nomination by Shri/Smt./Kumari Designation

Date of receipt of nomination

Signature of Head of Office/Accounts Officer
Designation
Date

IndiaCode

Instructions for the subscriber –

a) Your name may be filled in
b) Name of the fund may be completed suitably.
c) Definition of term "family' as given in the Regulation 2 (1) iv) is reproduced below.

"Family" means -

i) in the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent;

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community, to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimates, in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded;

ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grandparent:

Provided that if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in the matters to which these regulations relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note - "Child" means a legitimate child and includes an adopted child, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber or a ward under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), who lives with the Council servant and is treated as a member of the family and to whom the Council servant has, through a special will, given the same status as that of a natural born child.

d)Col. 4 If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee to cover the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

e) Col 5. Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

f) Col 6. Do not mention your name.

g) Draw line across the blank space last entry to prevent insertion of any name after you have signed

IndiaCode

Annexure – II

Authorities Competent to grant Temporary Advances
(Regulation - 13)

1. An advance for the grant of which special reasons are not required under sub- regulation (2) of regulation 13 may be sanctioned by the Member Secretary/Regional Director/Dy. Secretary as the case may be and if the applicant is Member Secretary/Regional Director/Dy. Secretary/himself the Chairman, NCTE.

2. An advance for grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13 may be sanctioned by Chairman, NCTE.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.